भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

आरबीआई, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय (विजयवाड़ा) में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए वेंडरों का पैनल बनाना और कार्य सौंपना

भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) उन वेंडरों से ई-निविदा के माध्यम से अलग-अलग तकनीकी (भाग-I) और मूल्य बोलियां (भाग-II) आमंत्रित करता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स के लिए एफएमएस और एएमसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो निविदा में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है। इच्छुक वेंडरों को ई-निविदा के माध्यम से भाग लेने के लिए एमएसटीसी पोर्टल (https://mstcecommerce.com/eprocn/) पर खुद को पंजीकृत करना होगा। संविदा 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए वैध होगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन अधिकतम दो और वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है, या अन्य अवधि जो बैंक निर्धारित कर सकता है। निविदा (भाग-I और भाग-II) 18 जून 2025 को अपराह्न 2.00 बजे या उससे पहले केवल एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

a. कार्य का नाम	आरबीआई आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए वेंडरों का पैनल बनाना और कार्य सौंपना
b. ई-निविदा सं.	आरबीआई/आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/4/25-26/ईटी/166
c. निविदा का तरीका	ई-टेंडरिंग प्रणाली (भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – मूल्य बोली) https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ के माध्यम से
d. पार्टियों द्वारा डाउनलोड के लिए एनआईटी उपलब्ध होने की तारीख/समय	04 जून 2025 अपराह्न 2:00 बजे से
e. बोली-पूर्व बैठक	यह बैठक 11 जून 2025 को प्रातः 11:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।

f. कार्य की अनुमानित लागत	₹8.45 लाख (आठ लाख और पैंतालीस हजार रुपये मात्र) 18% जीएसटी सहित नौ महीने के लिए, अर्थात 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए।
g. बयाना जमा राशि	**₹16,900.00 (सोलह हजार नौ सौ रुपये मात्र)** एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण निम्नानुसार है: **लाभार्थी का नाम: आरबीआई आंध्र प्रदेश कार्यालय** **आईएफ़एससी: RBIS0APPA01 (0 शून्य है)** **खाता संख्या: 186003001** **टिप्पणी: आईटी अवसंरचना के लिए एएमसी और एफएमएस** लेनदेन संख्या और अन्य विवरण दर्शाते हुए धन प्रेषण का प्रमाण अन्य निविदा दस्तावेजों के साथ बैंक के अनुमोदित ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। प्रतिभागियों को उनके द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि का विवरण ई-मेल के माध्यम से इन्हें प्रस्तुत करना आवश्यक है- (i) हरि कृष्ण कोत्ता, प्रबंधक (harikotha@rbi.org.in) (ii) आमनि स्वर्णा, सहायक प्रबंधक (amaniswarna@rbi.org.in) (iii) पी अरुणा, सहायक प्रबंधक (aruna@rbi.org.in)
h. लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी पेमेंट गेटवे / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाना है या मेसर्स

	एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सूचित किए गए अनुसार। (बैंक द्वारा लेनदेन शुल्क नहीं लिया जाएगा)
i. एनईएफटी के माध्यम से बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि/समय	18 जून 2025, अपराह्न 2:00 बजे
j. तिथि/समय जब ऑनलाइन तकनीकी और मूल्य बोली https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर प्रस्तुत की जा सकती है	04 जून 2025 अपराह्न 2:00 बजे से
k. तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/समय।	18 जून 2025, अपराह्न 2:00 बजे
l. भाग-I - तकनीकी बोली खोलने की तिथि/समय	18 जून 2025, अपराह्न 4:00 बजे
m. भाग II – मूल्य बोली खोलने की तिथि/समय	**निविदा के भाग II को खोलने के लिए पात्र पाए गए निविदाकर्ताओं को अलग से सूचित किया जाएगा।**

भाग-II अर्थात मूल्य बोली केवल उन निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं के संबंध में बैंक द्वारा सूचित की गई तिथि पर खोली जाएगी, जो भाग-I में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी या सभी ई-निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि यदि भविष्य में ई-निविदा में कोई संशोधन/शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा तथा समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय
04 जून 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक

आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय

हैदराबाद

आरबीआई, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय (विजयवाड़ा) में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए वेंडरों का पैनल बनाना और कार्य सौंपना

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/4/25-26/ईटी/166

भाग ।

निविदाकर्ता का नाम: ____________________________

पता: ____________________________________

____

____

____

निविदा आमंत्रण हेतु सूचना की तिथि	: 04 जून 2025
निविदा प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि	: 04 जून 2025 को 14:00 बजे
बोली-पूर्व बैठक की तिथि	: 11 जून 2025 को 11:00 बजे
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	: 18 जून 2025 को 14:00 बजे तक
निविदा के भाग-। के खुलने की तिथि	: 18 जून 2025 को 16:00 बजे
निविदा के भाग ।। को खोलने की तिथि और समय	: भाग । की जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा

दावा अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने इच्छुक पक्षों को परियोजना की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानता है, न तो आरबीआई और न ही इसके किसी भी अधिकारी या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी, जो इसके संबंध में प्रदान की जा सकती है, की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी जांच स्वयं करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह आरबीआई या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार, किसी भी व्यक्ति के लिए बाध्यकारी नहीं है।

आरबीआई को पैनल में शामिल न करने या परियोजना के विवरण को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया को बदलने का अधिकार है। इसके अलावा, आरबीआई को किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार है जो इस मामले में अपनी असहमति व्यक्त करता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

बैंक संविदा को आगे न बढ़ाने या कार्य के विन्यास को बदलने, संविदा की अवधि को बदलने या इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है जो रुचि व्यक्त करता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

बैंक सबसे कम कीमत वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। भविष्य में जारी किए गए निविदा में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

विषय सूची

भाग - I	
खंड I	निविदा अनुसूची (एसओटी)
खंड II	ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश
खंड III	निविदा का प्रारूप
खंड IV	नियम और शर्तें
खंड V	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों का विवरण
खंड VI	एनईएफटी विवरण
अनुलग्नक-ए	सूचीकरण सूत्र
भाग-I के अनुलग्नक	
अनुलग्नक-I	कंपनी/फर्म प्रोफ़ाइल
अनुलग्नक – II	आरबीआई आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित रेजिडेंट/एएमसी इंजीनियरों का विवरण
अनुलग्नक – III	पिछले पांच वर्षों के दौरान वेंडर द्वारा निष्पादित एएमसी की सूची (कार्य आदेशों की प्रतिलिपियां संलग्न की जानी हैं) संलग्न करना)
अनुलग्नक-III(ए)	एफ़एमएस/एएमसी सेवा प्रदाता के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र
अनुलग्नक - IV	क्षतिपूर्ति का वचनपत्र/प्रमाणपत्र
अनुलग्नक - V	अनुसूचित बैंक से बैंकर्स सर्टिफिकेट/सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट का प्रारूप
अनुलग्नक – VI	आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप
अनुलग्नक-VII	आरबीआई आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों के रखरखाव के लिए नियमों और शर्तों की सामान्य स्वीकृति
अनुलग्नक - VIII	निषेध के संबंध में वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र हेतु प्रारूप
अनुलग्नक – IX	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र हेतु प्रपत्र
अनुलग्नक – X	मात्राओं की बिना मूल्य वाली बोली
अनुलग्नक - XI	बैंकर्स का विवरण
अनुलग्नक – XII	जांच सूची

<u>निविदा अनुसूची (एसओटी)</u>

a. कार्य का नाम	आरबीआई आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा **(**एफएमएस**)** और वार्षिक रखरखाव संविदा **(**एएमसी**)** के लिए वेंडरों का पैनल बनाना और कार्य सौंपना
b. ई-निविदा सं.	आरबीआई**/**आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय**/**अन्य /4/25-26/ईटी/166
c. निविदा का तरीका	ई-टेंडरिंग प्रणाली (भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – मूल्य बोली) https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ के माध्यम से
d. पार्टियों द्वारा डाउनलोड के लिए एनआईटी उपलब्ध होने की तारीख/समय	04 जून 2025 अपराह्न 2:00 बजे से
e. बोली-पूर्व बैठक	यह बैठक 11 जून 2025 को प्रातः 11:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।
f. कार्य की अनुमानित लागत	₹8.45 लाख **(**आठ लाख और पैंतालीस हजार रुपये मात्र) 18% जीएसटी सहित **<u>नौ महीने के लिए,</u>** अर्थात 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए।
g. बयाना जमा राशि	**₹16,900.00 (सोलह हजार नौ सौ रुपये मात्र)** एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण निम्नानुसार है: **लाभार्थी का नाम: आरबीआई आंध्र प्रदेश कार्यालय** **आईएफ़एससी: RBIS0APPA01 (0 शून्य है)** **खाता संख्या: 186003001** **टिप्पणी: आईटी अवसंरचना के लिए एएमसी और एफएमएस** लेनदेन संख्या और अन्य विवरण दर्शाते हुए धन प्रेषण का प्रमाण अन्य निविदा दस्तावेजों के साथ बैंक के अनुमोदित ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

	उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। प्रतिभागियों को उनके द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि का विवरण ई-मेल के माध्यम से इन्हें प्रस्तुत करना आवश्यक है- (i) हरि कृष्ण कोत्ता, प्रबंधक (harikotha@rbi.org.in) (ii) आमनि स्वर्णा, सहायक प्रबंधक amaniswarna@rbi.org.in) (iii) पी अरुणा, सहायक प्रबंधक (aruna@rbi.org.in)
h. एनईएफटी के माध्यम से बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि/समय	18 जून 2025, अपराह्न 2:00 बजे
i. तिथि/समय जब ऑनलाइन तकनीकी और मूल्य बोली https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर प्रस्तुत की जा सकती है	04 जून 2025 अपराह्न 2:00 बजे से
j. तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/समय।	18 जून 2025, अपराह्न 2:00 बजे
k. भाग-I - तकनीकी बोली खोलने की तिथि/समय	18 जून 2025, अपराह्न 4:00 बजे
l. भाग II – वित्तीय बोली खोलने की तिथि/समय	**निविदा के भाग II को खोलने के लिए पात्र पाए गए निविदाकर्ताओं को अलग से सूचित किया जाएगा।**

खंड II

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश का ई-टेंडरिंग गतिविधि है। ई-टेंडरिंग सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना तथा उसके बाद जारी शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया :

1. पंजीकरण : इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदाकर्ता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही निविदाकर्ता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। निविदाकर्ता के पास क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। निविदाकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए आरबीआई जिम्मेदार नहीं है। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और मूल्य बोली https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ **पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए।**

a. वेंडरों को https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं→ सबमिट करें।

b. वेंडरों को उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल उनके ईमेल पर प्राप्त होगा, जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश):

a) श्री हरि कृष्ण कोथा मोबाइल - 9742251890 ईमेल - Harikotha@rbi.org.in

b) आमनि स्वर्णा, सहायक प्रबंधक मोबाइल – 8500555530 ईमेल – amaniswarna@rbi.org.in

c) पी अरुणा, सहायक प्रबंधक मोबाइल – 7680913766 ईमेल – aruna@rbi.org.in

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड - केवल कार्यालय समय के दौरान):

a) (तेलंगाना क्षेत्रीय कार्यालय)

फ़ोन नंबर: (040) 23301039

ई-मेल आईडी: mstchyd@mstcindia.in

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (वेंडरों के लिए)

फ़ोन नंबर :07969066600

ईमेल: helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)
उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों जैसे ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

सिस्टम आवश्यकता:

2. अधिक विवरण के लिए वेंडर https://www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर उपलब्ध **डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड** देख सकते हैं ।
3. तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi । निविदा में दी गई तिथि और समय पर बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।
4. निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।
5. **लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:**
विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के अंतर्गत **"लेनदेन शुल्क भुगतान"** लिंक का उपयोग करके विक्रेता लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास **एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान** के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को सिस्टम द्वारा जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। **लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।** लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं मिलेगी। नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
6. निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी लिमिटेड के साथ निविदाकर्ता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। निविदाकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने क्लास III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें। निविदाकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें। **एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-टेंडर को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।**
7. **ई-निविदा में बोली:**
नोट: निविदाकर्ताओं को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माई मेनू में अपलोड दस्तावेज़

लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, निविदाकर्ता विशेष ई-टेंडर के लिए अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज किसी ई-टेंडर से संलग्न नहीं हैं, तो उसे आरबीआई द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि निविदाकर्ता ने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया निविदाकर्ता गाइड के निर्देशों का पालन करें।

a) ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए वेंडर को आवश्यक बयाना राशि (ईएमडी), लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल वेंडर (वेंडरों) की ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।
b) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
c) जिन वेंडरों ने लेनदेन शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क-> सामान्य शर्तें-> दस्तावेज संलग्न करें-> मूल्य बोली पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं।
d) **कृपया ध्यान दें** : लेनदेन शुल्क और ईएमडी विवरण के सफल प्रेषण के बाद, निविदाकर्ता को उनके लॉगिन में संलग्न दस्तावेज और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, निविदाकर्ताओं को लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा करने या मूल्य बोलियां जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड करने और अपलोड करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा भी मामला हो । यदि दस्तावेज़ संलग्न करना और/या सामान्य शर्तों को सहेजना, चरण असफल होता है, तो लॉट विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के लिए टैब अक्षम हो जाएंगे। यह सफल/लंबित है या नहीं, इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित की जाएगी।
e) सबसे पहले निविदाकर्ता को टेक्नो-कमर्शियल विनिर्देश (यदि कोई हो) को भरना होगा और उसे सेव करना होगा। फिर निविदाकर्ता को टेक्नो-कमर्शियल बोली भरनी चाहिए। टेक्नो-कमर्शियल बोली भरने के बाद, निविदाकर्ता को अपनी टेक्नो-कमर्शियल बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, कमर्शियल/प्राइस बिड लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है और फिर निविदाकर्ता को अपनी प्राइस बिड दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार जब टेक्नो-कमर्शियल बोली और प्राइस बिड दोनों सेव हो जाती हैं, तो निविदाकर्ता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक करें।

   नोट : - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएँ" विकल्प दिखाया जाएगा। यदि निविदाकर्ता अंतिम सबमिशन के बाद बोली हटाना चाहता है और बोली को फिर से सबमिट करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएँ पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

f) सभी मामलों में, वेंडर को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

g) सम्पूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, वेंडर एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।

h) ई-निविदा मंच पूर्व घोषित तिथि और समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।

i) ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ वेंडर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस वेंडर द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति के निष्पादन के लिए खरीदार और वेंडर के बीच एक बाध्यकारी संविदा बन जाएगा।

j) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

k) क्रेता बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

l) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी वेंडर द्वारा ई-टेंडर फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना ई-टेंडर के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

m) इस निविदा से प्राप्त कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियमों एवं शर्तों द्वारा शासित होगा।

n) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोलियों की प्राप्ति की नियत तिथि को बढ़ाने का अधिकार है।

o) **माप की इकाई (यूओएम) ई-टेंडर पोर्टल में दर्शाई गई है। उद्धृत की जाने वाली दर ई-टेंडर पोर्टल/टेंडर दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।**

खंड III

निविदा फॉर्म

स्थान:

तारीख:

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय

प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन

सैफाबाद, हैदराबाद

महोदय,

ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद तथा उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों के स्थल की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के दौरान संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में सामान्य अनुदेशों, अन्य नियमों और शर्तों, कार्य के विस्तृत दायरे, वित्तीय नियमों और शर्तों, मात्राओं की अनुसूची और संविदा की शर्तों में संदर्भित लिखित विनिर्देशों और अनुदेशों के अनुसार और ऐसी सामग्रियों के साथ, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकती हैं, जैसा कि दिया गया है, निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	आरबीआई आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए वेंडरों का पैनल बनाना और कार्य सौंपना
(बी)	कार्य की अनुमानित लागत	₹ 8.45 लाख (आठ लाख और पैंतालीस हजार रुपये मात्र) 18% जीएसटी सहित, नौ महीने अर्थात 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए।
(सी)	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए या मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सूचित किए गए अनुसार। (आरबीआई द्वारा लेनदेन शुल्क नहीं
(डी)	बयाना जमाराशि (ईएमडी)	**₹ 16,900/- (सोलह हजार नौ सौ रुपए मात्र) एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना है।** विवरण खंड VI में दिया गया है।

		उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।
(इ)	संविदा अवधि	यह संविदा 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक नौ महीने की अवधि के लिए वैध होगी, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम दो वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकेगा, अथवा बैंक द्वारा तय की गई अन्य अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
(एफ)	प्रतिधारण सुरक्षा जमा	बैंक द्वारा निविदाकर्ता को किए जाने वाले प्रत्येक भुगतान से किए गए कार्य के मूल्य का 5% कटौती करके प्रतिधारण राशि जमा की जाएगी। संविदा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद बैंक द्वारा प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

2. मैं/हम कार्य के दायरे/प्रकृति तथा निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप अपनी सेवाएं प्रदान करने का वचन देते हैं। मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा, निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों की पुष्टि करती है।

3. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम निविदा की सभी शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और ऐसा न करने पर, निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित धनराशि को जब्त करके आपको या आपके उत्तराधिकारियों या नियुक्तियों या नामांकित व्यक्तियों को संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ भुगतान करेंगे। कार्य के संतोषजनक निष्पादन के लिए आवश्यक संख्या में व्यक्तियों (अत्यधिक कुशल और कुशल) को मेरे/हमारे द्वारा तैनात किया जाएगा। लागत का वहन मेरे/हमारे द्वारा किया जाएगा।

4. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा भाग-II निविदा के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी तथा वैधता की यह अवधि बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

5. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

6. मैंने/हमने बैंक में बयाना राशि के रूप में **₹ 16,900.00 (सोलह हजार नौ सौ रुपये मात्र)** जमा कर दी है, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि हम संविदा निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात पर सहमत हैं कि यह राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

7. मैं/हम, यह घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे खिलाफ पुलिस/न्यायालय/नियामक प्राधिकरणों के पास कोई मामला नहीं है। साथ ही, मुझे/हमें किसी भी कारण से भारतीय रिज़र्व बैंक सहित किसी भी संगठन द्वारा निलंबित/असूचीबद्ध/अयोग्य नहीं ठहराया गया है और न ही ऐसी कोई कार्यवाही लंबित है या विचाराधीन

है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि न तो हमारी फर्म और न ही कोई भागीदार किसी घोटाले या अनुशासनात्मक कार्यवाही में शामिल है, जिसका निपटारा हो चुका है या न्यायनिर्णय लंबित है।

8. निविदा दो भागों में है, भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम व शर्तें तथा तकनीकी विवरण हैं तथा भाग II में केवल बैंक के प्रो-फॉर्मा में मूल्य बोली है।

9. हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि बैंक इस दस्तावेज़ में दी गई किसी भी या सभी जानकारी को, यदि आवश्यक हो, संबंधित अधिकारियों से सत्यापित करे। इसके अलावा, मुझे/हमें बैंक द्वारा हमारे द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों/समान सेवाओं के निरीक्षण के लिए साइट विजिट करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

10. हमारे बैंकर्स का विवरण अपलोड किया गया है। हमारे बैंकर्स हैं (पूरा पता):

(i)	
(ii)	

11. हमारी फर्म के साझेदारों के नाम हैं:

i.

ii.

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत बोलीदाता के निदेशक का नाम / संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम (पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए) प्रतिष्ठान की मुहर के साथ	

बैंक के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बोलीदाता के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

खंड IV

नियम और शर्तें

आरबीआई, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय (विजयवाड़ा) में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए वेंडरों का पैनल बनाना और कार्य सौंपना

A. सामान्य निर्देश

1. यह निविदा दस्तावेज न तो प्रस्ताव पत्र है और न ही कोई कानूनी संविदा है, बल्कि यह प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व इस निविदा प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि आरबीआई और निविदाकर्ता के विधिवत अधिकृत अधिकारियों द्वारा औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर और निष्पादन नहीं किया जाता है। इसके अलावा, आरबीआई इस निविदा के जवाब की तैयारी में निविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदाकर्ता के प्रस्ताव की तैयारी बैंक द्वारा शामिल या अस्वीकृत किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी भी दायित्व के बिना की जाएगी। वेंडरों द्वारा अपने प्रस्ताव में शामिल की गई सभी जानकारी को पूर्ण गोपनीयता के साथ माना जाएगा।
2. **कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल्स का विवरण <u>भाग V</u>** में दिया गया है । यह सूची सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है। बोलीदाता को ध्यान रखना चाहिए कि संविदा अवधि के दौरान वस्तुओं की संख्या भिन्न हो सकती है।
3. **कार्य की प्रकृति :** संविदा में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, टैबलेट आदि तथा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के ऑनसाइट निवारक और सुधारात्मक रखरखाव के लिए एएमसी और एफएमएस शामिल है।
4. **कार्य स्थल (स्थान):** निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरण:

पता
भूतल और प्रथम तल, स्टालिन सेंट्रल में स्थित, 27-37-158, 27-46-2, 2/1, 2/2 और 27-45-5/3, एमजी रोड, गवर्नर पेट, विजयवाड़ा-520002 और कोई भी अतिरिक्त कार्यालय/आवासीय परिसर जहां भविष्य में कार्यालय आईटी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी।

5. **बोली सुरक्षा (बयाना जमा राशि):** खंड VI में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 16,900/- (सोलह हजार नौ सौ रुपए मात्र) की राशि एनईएफटी के माध्यम से जमा की जानी है। उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

6. **संविदा की अवधि** : 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक 9 महीने की संविदा को, संतोषजनक प्रदर्शन और आरबीआई के विवेक पर अधिकतम दो और वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। किसी भी पक्ष को लिखित रूप में दूसरे पक्ष को कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर किसी भी समय बिना किसी मुआवजे या क्षति के इस करार को समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी। संविदा के नवीनीकरण के मामले में अनुलग्नक-ए में दिए गए इंडेक्सेशन फॉर्मूले के आधार पर तय की गई दरों पर वार्षिक वेतन वृद्धि लागू होगी।

7. बैंक निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर उनके ग्राहकों और बैंकरों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा। बैंक निविदाओं की वित्तीय बोली खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय किसी भी निविदाकर्ता के पास निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा की तकनीकी/वाणिज्यिक बोली खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसा करने के लिए बैंक कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

8. तकनीकी बोली की जांच के बाद, केवल वे फर्में, जो तकनीकी बोली की शर्तों को पूरा करती हैं, वित्तीय/मूल्य बोली में भाग लेने के लिए पात्र होंगी। वित्तीय/मूल्य बोली (भाग-II) बाद में घोषित तिथि पर खोली जाएगी। सफल बोलीदाता को वित्तीय/मूल्य बोली के खुलने के चौदह दिनों के भीतर अंतिम करार पर हस्ताक्षर करने होंगे।

9. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. निविदाकर्ता को अपनी निविदा की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित सभी लागतों को वहन करना होगा और निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

11. निविदा दस्तावेज़ में संशोधन

a) निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, बैंक आरबीआई वेबसाइट (https://www.rbi.org.in) ई-पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज़ को संशोधित कर सकता है।

b) जारी किया गया कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज़ का हिस्सा होगा।

c) भावी निविदाकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने में किसी भी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्रों को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक पर निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।

12. बोली-पूर्व बैठक:

a) निविदाकर्ता के नामित प्रतिनिधि को 11 जून 2025 को 11:00 बजे बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस स्तर पर उठाए जा सकने वाले प्रश्नों का उत्तर देना होगा।

b) बोली-पूर्व बैठक में अनुपस्थिति किसी निविदाकर्ता की अयोग्यता का कारण नहीं होगी।

बी. पात्रता मानदंड

केवल वे निविदाकर्ता ही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड हों।

1) **निविदाकर्ता की संरचना –**

a) निविदाकर्ता **एक लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत भागीदारी या स्वामित्व वाली फर्म होनी चाहिए** । फर्म और उनके बैंकरों का विवरण अनुलग्नक I और XI के अनुसार दिया जाना चाहिए।

b) निविदाकर्ता को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत भारतीय कंपनी होना चाहिए। तकनीकी बोली के हिस्से के रूप में निगमन प्रमाणपत्र और संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम की प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए। वेंडर के पास जीएसटी, पैन, टीआईएन, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (यदि लागू हो), भविष्य निधि, श्रम कानून (यदि लागू हो), उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) के तहत पंजीकरण होना चाहिए। ऐसे पंजीकरण की प्रतियां (जहां भी लागू हो) भी तकनीकी बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज - संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम *प्रतिलिपि/ निगमन प्रमाणपत्र/*

साझेदारी विलेख/ कर पंजीकरण दस्तावेज जैसे पैन, टिन, जीएसटी, उद्यम पंजीकरण आदि/ *अन्य प्रासंगिक दस्तावेज (यदि लागू हो) जमा करने होंगे।*

2) **सेवा सेटअप -** कंपनी के पास पूर्ण सेवा और मरम्मत केंद्र सेटअप होना चाहिए। बैंक को मरम्मत केंद्र का निरीक्षण करने और मूल्य बोली (भाग-II) खोलने से पहले वेंडर द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सेवा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के बारे में खुद को संतुष्ट करने का अधिकार है।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज *- सेवा सेटअप के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने होंगे।*

3) **पिछले अनुभव की अवधि-** निविदाकर्ता के पास 31 मार्च 2025 की स्थिति पर पिछले पांच वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक करने का अनुभव होना चाहिए। निविदाकर्ता को पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाते हुए अपनी गाहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। सूची में ग्राहक का नाम, किए गए कार्य का मूल्य, कार्य की आरंभ तिथि और समाप्ति तिथि आदि जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। निविदाकर्ता को कम से कम पांच वर्षों के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

4) **प्रत्येक पूर्ण किए गए कार्य का न्यूनतम मूल्य (अर्हता) -** निविदाकर्ता को निविदा खुलने की तिथि से पिछले 5 (पांच) वित्तीय वर्षों के दौरान लैन वातावरण के तहत ऐसी सेवाएं संतोषजनक रूप से प्रदान करनी चाहिए -

(ए)	कम से कम 1 (एक) कार्य जिसकी लागत ₹ 9 लाख या उससे अधिक हो
या	
(बी)	₹ 5.6 लाख या उससे अधिक की राशि के कम से कम 2 (दो) कार्य
	या
(सी)	₹ 4.5 लाख या उससे अधिक की राशि के कम से कम 3 (तीन) कार्य

या तो (ए) या (बी) या (सी)

नोट: उपरोक्त गणना के लिए प्रति वर्ष अनुमानित लागत 11.2 लाख रुपये मानी जाएगी।

समान कार्य (कार्यों) के ग्राहक-वार नाम, सौंपे गए कार्य(कार्यों) के निष्पादन का वर्ष, निष्पादित कार्य(कार्यों) का वास्तविक मूल्य, देरी के कारण (यदि कोई हो), अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य निष्पादित किया गया/किए गए, अनुलग्नक-III के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

अनुलग्नक III (ए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाणपत्र पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का विवरण तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नोट: सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए। सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा अन्य विभागों के संबंध में, ऊपर वर्णित प्रमाण पत्रों के अलावा, निष्पादित कार्य से संबंधित भुगतानों से मेल खाते टीडीएस प्रमाण पत्र भी संलग्न किए जाने चाहिए।

5) **वार्षिक कारोबार -** न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹ 11.20 लाख से कम नहीं होना चाहिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2023-24, 2022-23 और 2021-22 में प्रत्येक में शुद्ध लाभ के साथ।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज - पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2023-24, 2022-23 और 2021-22 *के लिए उनकी ऋण पात्रता, टर्नओवर और शुद्ध लाभ के प्रमाण के रूप में आयकर रिटर्न और ऑडिटेड वित्तीय विवरण की प्रतियां।*

सॉल्वेंसी: बोलीदाताओं को आवेदक के बैंकर द्वारा जारी बैंकर प्रमाणपत्र (सॉल्वेंसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो विशेष रूप से इस कार्य के उद्देश्य के लिए अनुमानित लागत **(8.45 लाख रुपये)** के बराबर न्यूनतम राशि के लिए हो। सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया जाएगा (संविदा-V)

6) निविदाकर्ता के पास एचपी, डेल, लेनोवो, किसी अन्य प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड आदि जैसे ब्रांडों के लिए ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) प्रमाणीकरण या प्राधिकरण या सेवा प्रदाता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी प्रमाण- *प्रासंगिक प्रमाणपत्र।*

7) निविदाकर्ता को आईएसओ 20000 प्रमाणित (आईटी सेवा प्रबंधन के लिए मान्यता) होना चाहिए।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज *- प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जानी है।*

8) निविदाकर्ता को अपने किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी पूर्व संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप संविदा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले संविदा रद्द/त्याग कर दी गयी हो। निविदाकर्ता को अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देना होगा और उनकी स्थिति प्रस्तुत करनी होगी, यदि ऐसा नहीं है तो उस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा। बैंक

निविदाकर्ता द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी का मूल्यांकन करने और तदनुसार निविदा प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज – इस आशय का विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद लिखित घोषणापत्र।

9. निविदाकर्ता को किसी भी सरकार, नियामक प्राधिकरण, वित्तीय संस्थान आदि द्वारा असूचीबद्ध/प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निविदाकर्ता के खिलाफ कोई दिवालियापन मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

10. निविदा दस्तावेज: तकनीकी बोली (भाग-I) में प्रस्तावित कार्य के मूल्य के बारे में कोई जानकारी दिए बिना निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज शामिल होंगे:

a) निविदा का फॉर्म (खंड III)
b) नियम एवं शर्तें (खंड IV)
c) कंपनी/फर्म का विधिवत भरा हुआ प्रोफाइल (अनुलग्नक – I)
d) आरबीआई में नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित रेजिडेंट इंजीनियरों का विवरण (अनुलग्नक- II)
e) निविदाकर्ता द्वारा निष्पादित एएमसी की सूची (अनुलग्नक - III)
f) एफएमएस/एएमसी सेवा प्रदाता के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र [अनुलग्नक-III(ए)]
g) क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-IV)
h) अनुसूचित बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र/सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-V)
i) बैंकर/बैंकरों का विवरण (अनुलग्नक – XI)
j) आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक VI)
k) आरबीआई, आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों के रखरखाव के लिए नियमों और शर्तों की सामान्य स्वीकृति (अनुलग्नक VII)
l) निषेध के संबंध में वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र हेतु प्रारूप (अनुलग्नक-VIII)
m) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र हेतु प्रारूप (अनुलग्नक – IX)
n) निविदाकर्ता की अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो
o) एनईएफटी के माध्यम से ₹ 16,900/- (सोलह हजार नौ सौ रुपए मात्र) की बयाना राशि जमा करने का प्रमाण। खाते, आईएफएससी आदि का विवरण खंड VI में दिया गया है।
p) निविदाकर्ता की मुहर और स्टाम्प के साथ विधिवत भरी गई जांच सूची (अनुलग्नक XII)

एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड की गई तकनीकी बोली में उपरोक्त सभी सूचीबद्ध दस्तावेज और अनुलग्नक विधिवत रूप से पूर्ण होने चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों के साथ समर्थित होने चाहिए। सभी दस्तावेज स्व-सत्यापित, अनुक्रमित, चिह्नित और पृष्ठ क्रमांकित होने चाहिए। निविदाकर्ता को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के अनुलग्नक VII में उल्लिखित आवेदन पत्र में सभी नियमों और शर्तों की अपनी स्वीकृति बतानी चाहिए और इसे भाग 1 (तकनीकी बोली) दस्तावेजों के साथ अपलोड करना चाहिए।

वित्तीय/मूल्य बोली में कोई विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो केवल प्रस्ताव मूल्य/दर के उद्धरण के लिए है। वित्तीय/मूल्य बोली (भाग-II) का प्रारूप अनुलग्नक X में दिया गया है जानकारी के लिए कृपया ध्यान दें कि वित्तीय/मूल्य बोली (भाग-II) केवल एमएसटीसी पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन भरी जानी है। यह प्रस्ताव निविदा की वित्तीय/मूल्य बोली (भाग-II) खुलने की तिथि से 90 दिनों के लिए वैध होना चाहिए।

सी. अन्य नियम और शर्तें

1. पात्रता मानदंड में उल्लिखित सेवा सेटअप के अलावा, निविदाकर्ताओं की अधिमानतः अखिल भारतीय उपस्थिति होनी चाहिए।

2. संविदा के दायरे में आईटी इन्वेंट्री की प्रारंभिक स्थापना और सेटअप शामिल होगा, जब इसे हैदराबाद से विजयवाड़ा स्थानांतरित किया जाएगा।

3. यह संविदा 01 जुलाई 2025 या आईटी परिसंपत्तियों के विजयवाड़ा कार्यालय में स्थानांतरित होने की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी।

4. निविदाकर्ता के पास सभी ब्रांड और मेक के कंप्यूटर सिस्टम और बाह्य उपकरणों के लिए एएमसी/एफएमएस को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। निविदाकर्ता को सभी हार्डवेयर वस्तुओं के लिए एएमसी प्रदान करने और खंड V में सूचीबद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम/सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए समर्थन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि खंड V में वस्तुओं की सूची सांकेतिक है। कंप्यूटर सिस्टम और बाह्य उपकरणों की संख्या में बदलाव हो सकता है, जो कि आरंभ के समय और संविदा की अवधि के दौरान बैंक की सूची में जोड़े/हटाए जाने के अधीन है। उद्धृत दर में कंप्यूटर उपकरण की सभी वस्तुओं और ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस), सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन, एप्लिकेशन/पैकेजों के कॉन्फ़िगरेशन, प्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से जोड़ने आदि के लिए व्यापक रखरखाव सेवा शामिल होनी चाहिए। वेंडर वारंटी के तहत आईटी इन्वेंट्री के लिए समर्थन भी प्रदान करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भागों के प्रतिस्थापन, कॉल लॉगिंग, ओईएम के साथ फॉलो-अप आदि के अलावा सभी समर्थन सेवाएं प्रदान करना शामिल है। वेंडर को एफएमएस/एएमसी मूल्य के भीतर रखरखाव समर्थन की पूरी लागत को शामिल करना चाहिए।

5. खंड -V में उल्लिखित वस्तुओं के ओईएम के साथ उचित समर्थन संबंध (चैनल पार्टनर, सेवा भागीदार, आदि) रखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्या समाधान के लिए निविदाकर्ता को ओईएम से प्राथमिकता समर्थन स्तर उपलब्ध होगा ।

   प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज- *ओईएम के साथ सहयोग की निरंतरता का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने होंगे।*

6. निविदाकर्ता के पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, विंडोज सर्वर (2003 और उससे ऊपर) ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और उससे ऊपर, लिनक्स, एडोब स्टूडियो और विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम (विंडोज 7.0 और उससे ऊपर) से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कंप्यूटर साइंस/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.टेक./बीई/बीएससी./एमसीए के साथ आंध्र प्रदेश में तैनात पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से योग्य इंजीनियर होने चाहिए। निर्दिष्ट योग्यता/अनुभव को हर समय बनाए रखा जाना चाहिए, जैसे कि वेंडर की अनुपस्थिति/इंजीनियर के नौकरी छोड़ने आदि की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था या प्रतिस्थापन के दौरान। सभी आरई के पास अच्छा संचार कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण और तकनीकी होना चाहिए। निविदाकर्ता को अनुलग्नक II के अनुसार बैंक के स्थान पर निवासी इंजीनियरों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले **02 तकनीकी रूप से योग्य इंजीनियरों** का बायोडेटा और जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज - *तकनीकी रूप से योग्य इंजीनियरों की सूची, जिनके पास अपेक्षित प्रमाणपत्र हों तथा जो अपेक्षाओं का समर्थन करते हों, आरबीआई को प्रस्तुत किए जाने हैं।*

7. निविदाकर्ता के पास मरम्मत कार्य के लिए पर्याप्त तकनीकी स्टाफ और उपकरणों सहित एक पूर्ण सेवा और मरम्मत केंद्र होना चाहिए, ताकि पीसी के लिए कम से कम 99% अपटाइम और बाह्य उपकरणों के लिए 98% अपटाइम सुनिश्चित किया जा सके।

8. यदि कार्य हेतु नियुक्त इंजीनियर/इंजीनियरों की योग्यता एवं कौशल वांछित स्तर पर नहीं पाए गए तो बैंक को उनके स्थान पर अन्य इंजीनियर नियुक्त करने की मांग करने का अधिकार है।

9. निविदाकर्ता को सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करना होगा तथा अनुलग्नक IV के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।

10. **ईएमडी और प्रतिधारण धन जमा** : निविदाकर्ता को ₹16,900/- (सोलह हजार नौ सौ रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा करनी होगी। एनआईटी में निर्दिष्ट एनईएफटी के माध्यम से, जिसे असफल निविदाकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा। निविदाकर्ता द्वारा संविदा की उचित पूर्ति के लिए, बैंक द्वारा निविदाकर्ता को किए जाने वाले प्रत्येक भुगतान से किए गए कार्य के मूल्य का 5% कटौती की जाएगी, जो प्रतिधारण राशि जमा के रूप में होगी। संविदा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद बैंक द्वारा ईएमडी के साथ प्रतिधारण राशि जमा की जाएगी। बैंक द्वारा रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

11. निम्नलिखित परिस्थितियों में ईएमडी जब्त कर ली जाएगी:

i. प्रस्तुत प्रपत्रों, कथनों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत विवरण दिया गया हो, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, न्यायालय में लंबित किसी कानूनी कार्यवाही का विवरण छिपाया गया हो, जिससे अन्यथा पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव पड़ सकता था; या

ii. निविदाकर्ता ने भाग II/वित्तीय बोली का कॉलम खाली छोड़ दिया या एक से अधिक वित्तीय बोलियां प्रस्तुत कीं।

iii. यदि कोई निविदाकर्ता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है, या

iv. निविदाकर्ता को किसी सरकारी एजेंसी, पीएसयू द्वारा काली सूची में डाला गया हो तथा काली सूची अभी भी प्रभावी हो।

v. सफल निविदाकर्ता के मामले में, यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है।

12. निविदाकर्ता को दिए गए प्रारूप अनुलग्नक V के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंकर्स प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

कार्य का दायरा

1. बैंक के पास कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि का एक विषम (मेक/मॉडल) सेट है जैसा कि खंड V में सूचीबद्ध है। इन कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों को एक व्यापक एएमसी संविदा के तहत कवर किया जाएगा, जिसके तहत निवारक रखरखाव, सुधारात्मक रखरखाव, भागों का प्रतिस्थापन, घटकों का स्थानांतरण, मशीनों की सतह की सफाई करनी होगी।

2. एएमसी संविदा में ओईएम की वारंटी के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर हार्डवेयर के रखरखाव के लिए लेवल 1 सहायता भी शामिल होगी। इसमें उपयोगकर्ताओं को समस्या का पता लगाकर सहज और निर्बाध सेवाएं प्रदान करना, संबंधित वेंडर/ओईएम को सेवा कॉल भेजना और वारंटी नियमों और शर्तों का उल्लंघन किए बिना समस्या के समाधान के लिए उनके साथ समन्वय करना शामिल होगा। इसके अलावा, एएमसी संविदा में मुख्य कार्यालय भवन में बैंक की संपत्तियों पर तैनात लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर और बाह्य उपकरणों के व्यापक वार्षिक रखरखाव को शामिल किया गया है, जैसा कि अनुभाग V में विस्तृत है।

3. वेंडर को ए.एम.सी. के अंतर्गत आने वाली सभी परिसंपत्तियों के लिए निवारक और सुधारात्मक रखरखाव दोनों को शामिल करते हुए व्यापक रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी होंगी।

4. निवारक रखरखाव : सभी आईटी परिसंपत्तियों की निवारक रखरखाव सेवा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि शीघ्र सुधारात्मक रखरखाव सेवा, क्योंकि नियमित और उचित निवारक रखरखाव सेवा उपकरण के परेशानी-मुक्त प्रदर्शन को सुनिश्चित करती है। वेंडर को एएमसी के साथ-साथ वारंटी के तहत सभी आईटी परिसंपत्तियों के लिए प्रति तिमाही कम से कम एक निवारक रखरखाव अनुसूची प्रदान करनी चाहिए, जिसमें ब्रश और उपयुक्त रसायन के साथ सभी आईटी परिसंपत्तियों की बाहरी सफाई शामिल होगी। उपरोक्त के अलावा, जब भी आवश्यक हो, ब्रश और/या वैक्यूम क्लीनिंग के साथ सभी आईटी परिसंपत्तियों की आंतरिक सफाई की जाएगी। निवारक रखरखाव का दायरा हार्डवेयर से संबंधित/विशिष्ट पहलुओं को भी कवर करेगा जैसे HDDs, कंट्रोलर, पावर सप्लाई (SMPS), ड्राइवरों और ओएस और सुरक्षा पैच, एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर आदि का स्वास्थ्य परीक्षण। ऐसे कार्यक्रमों के लिए समय उपयोगकर्ता विभाग के परामर्श से पहले से निर्दिष्ट करना होगा। निवारक रखरखाव के तहत कार्य का दायरा मूल निर्माता/सर्वोत्तम प्रथाओं द्वारा अनुशंसित अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा।

5. सुधारात्मक रखरखाव : वेंडर एफएमएस और एएमसी के तहत सभी आईटी परिसंपत्तियों का सुधारात्मक रखरखाव करेगा। सुधारात्मक रखरखाव का मतलब है समस्या की पहचान और उसका सुधार जिसमें ओएस की स्थापना/पुनः स्थापना, प्रिंटर की स्थापना/कॉन्फ़िगरेशन, इन-हाउस या तीसरे पक्ष द्वारा विकसित एप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर की पुनः स्थापना/स्थापना, प्रिंटर ड्राइवर, एंटी-वायरस एजेंट, स्मार्ट कार्ड रीडर ड्राइवर, जोखिम लॉग/स्कैन लॉग भेजना, वीसी सिस्टम का संचालन/रखरखाव, आईटी परिसंपत्तियों की समीक्षा, डिस्प्ले स्क्रीन का संचालन/रखरखाव आदि शामिल हो सकते हैं।

6. *दोषपूर्ण भागों का प्रतिस्थापन:* वेंडर एएमसी के अंतर्गत सभी आईटी परिसंपत्तियों के किसी भी खराब या दोषपूर्ण भाग/घटक को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के बदलेगा। प्रिंटर के लिए, जहां भाग अनुपयोगी हैं और प्लास्टिक पार्ट्स, प्रिंटर नॉब, पेपर फीड, प्रिंटर इंटरफ़ेस कॉर्ड, पावर कॉर्ड आदि जैसे भागों को बदलने की आवश्यकता है, कंपनी ऐसे भागों को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के बदलेगी। प्रिंटर हेड, फ्यूज़र असेंबली, रिबन, फ़्लॉपी/टेप, स्टेशनरी, प्रिंटर कार्ट्रिज और टोनर कार्ट्रिज को, यदि आवश्यक हो, बोलीदाता द्वारा उचित बिल प्रस्तुत करने पर बैंक को वास्तविक रूप से अतिरिक्त लागत पर बदला जाएगा। केवल वे भाग जिनका विशेष रूप से ऊपर उल्लेख किया गया है, अर्थात प्रिंटर हेड, फ्यूज़र असेंबली, रिबन, फ्लॉपी/टेप, स्टेशनरी, प्रिंटर कार्ट्रिज और टोनर कार्ट्रिज, वेंडर द्वारा उचित बिल प्रस्तुत करने पर बैंक को अतिरिक्त लागत पर बदले जा सकते हैं। उपकरण के अन्य सभी घटकों को कंपनी द्वारा बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत

के बदला जाएगा। किसी भी भाग या पूरे सिस्टम के प्रतिस्थापन के मामले में, वेंडर को उसी ब्रांड/मॉडल के साथ प्रतिस्थापन प्रदान करना होगा। यदि घटक/भागों की अनुपलब्धता के कारण वेंडर किसी उपकरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, तो वेंडर उपकरण/उपकरणों को चालू करने के लिए घटक/भागों को अपनी लागत और जिम्मेदारी पर अपग्रेड करेगा; अन्यथा, वेंडर उपरोक्त घटकों की मरम्मत या वेंडर द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक अपनी लागत और जिम्मेदारी पर समान या उच्चतर संगत कॉन्फ़िगरेशन के वैकल्पिक/प्रतिस्थापन सिस्टम/सिस्टम प्रदान करेगा।

7. **घटकों का स्थानांतरण**

घटकों के स्थानांतरण का अर्थ है मरम्मत कार्य करने या सिस्टम को स्थानांतरित करने के लिए घटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। यदि आवश्यक हो तो एएमसी के अंतर्गत आने वाले उपकरणों को स्थानांतरित करना और पुनः स्थापित करना। आईटी उपकरणों का स्थानांतरण बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जाएगा। यह निम्न में से किसी भी श्रेणी में हो सकता है:

- *बैंक परिसर के भीतर*: यदि आवश्यक हो तो वेंडर को कार्यालय के भीतर या बैंक परिसर में विभागों/भवनों के भीतर या डीआईटी की आवश्यकता और निर्देश के अनुसार दो स्थानों के बीच कंप्यूटर हार्डवेयर के सुरक्षित स्थानांतरण की व्यवस्था करनी चाहिए। अधिकारीगण।
- *बैंक से वेंडर के स्थान तक और इसके विपरीत*: वेंडर को मरम्मत/प्रतिस्थापन आदि के लिए बैंक से वेंडर के स्थान तक और इसके विपरीत घटक की सुरक्षित शिफ्टिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। वेंडर को इस प्रकार की परिसंपत्ति की आवाजाही का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। ऐसे मामलों में, परिवहन व्यवस्था और परिवहन की लागत वेंडर द्वारा वहन की जाएगी।
- *बैंक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर*: वेंडर को आईटी हार्डवेयर/पेरिफेरल्स को किसी भी परिसर में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने और स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि मुख्य कार्यालय भवन और इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर बैंक के हित/गतिविधि के किसी अन्य स्थान पर। ऐसे मामलों में, परिवहन व्यवस्था बैंक द्वारा की जाएगी। ऐसे मामलों में, ऐसी गतिविधि विजयवाड़ा की नगरपालिका सीमा से परे परिकल्पित है, निवासी इंजीनियर के लिए आवश्यक भोजन और आवास की व्यवस्था बैंक द्वारा की जाएगी।

8. रेजिडेंट इंजीनियर, जब भी आवश्यकता होगी, बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के, ऑपरेटिंग सिस्टम/एप्लीकेशन और/या किसी अन्य विशिष्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर/पैकेज को स्थापित/पुनः स्थापित और कॉन्फ़िगर करेंगे।

9. वेंडर, निर्देश मिलने पर, एएमसी और एफएमएस के अंतर्गत आने वाली आईटी परिसंपत्तियों में आउटलुक/केएमटी को कॉन्फ़िगर करेगा/एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर स्थापित करेगा/कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन करेगा/पैच अपडेट करेगा /एंटीवायरस परिभाषा अपडेट करेगा आदि।

10. वेंडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि हार्डवेयर, सहायक उपकरण, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ़्टवेयर (यदि कोई हो) की खराबी बैंक द्वारा शिकायत दर्ज करने के **24 घंटे के भीतर** ठीक कर दी जाए, ऐसा न करने पर वेंडर को व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपने खर्च पर आवश्यक हार्डवेयर/सॉफ़्टवेयर उपलब्ध कराना होगा। बैंक द्वारा शिकायत किसी भी या सभी तरीकों से दर्ज की जा सकती है जैसे मौखिक, ऑनलाइन शिकायत ट्रैकिंग सिस्टम, ई-मेल, टेलीफ़ोन या इसी तरह के अन्य तरीके।

11. उपकरणों की सभी मरम्मत/प्रतिस्थापन और सर्विसिंग बैंक के निर्दिष्ट स्थानों पर ही की जानी चाहिए। यदि बैंक की राय में खराबी गंभीर प्रकृति की है और उसे मरम्मत केंद्र की सहायता की आवश्यकता है, जिससे उपकरणों को स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है, तो वेंडर बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्थानांतरण/परिवहन, स्थापना, पुनः स्थापना, सॉफ्टवेयर पैकेज (सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यदि कोई हो) की लोडिंग की व्यवस्था करेगा। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब बैंक की आईटी संपत्तियां मरम्मत कार्यों के लिए बैंक के परिसर से बाहर ले जाई जाती हैं, तो किसी भी बिंदु पर घटकों की अखंडता से समझौता नहीं किया जाएगा।

12. हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों तक पहुंचने में आने वाली किसी भी समस्या के संबंध में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वेंडर द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान की जानी चाहिए।

13. वेंडर को यह प्रमाणित करना होगा कि बेची गई मरम्मत और रखरखाव सेवाएँ/उत्पाद किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था के किसी पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य या अन्य संपत्ति अधिकार का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करते हैं। वेंडर बैंक को किसी भी दावे या मांग, कार्रवाई या कार्यवाही से क्षतिपूर्ति करेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस वारंटी के किसी उल्लंघन या कथित उल्लंघन से उत्पन्न होती है।

14. **रेजीडेंट इंजीनियरों की तैनाती :** संविदा अवधि के दौरान बैंक के सभी कार्य दिवसों पर पूरे कार्य दिवस के लिए दो इंजीनियरों को साइट पर तैनात किया जाएगा। आरबीआई को सामान्य कार्य दिवसों के अलावा अन्य दिनों में भी तत्काल आवश्यकता के मामले में रेजीडेंट इंजीनियरों को बुलाने का अधिकार होगा। वेंडर उपकरण में किसी भी दोष और विफलता को ठीक करेगा और बैंक के सामान्य कार्य घंटों के दौरान

उपकरण के खराब या दोषपूर्ण भागों की मरम्मत और प्रतिस्थापन करेगा।

15. रजिस्टर: वेंडर को कॉल को ट्रैक करने और शिकायतों को हल करने के लिए एक कॉल रजिस्टर बनाए रखना चाहिए। इसमें एएमसी के तहत आईटी सिस्टम के लिए शिकायतों का समाधान शामिल होगा, साथ ही ओईएम साथ शिकायतों को उठाना और एफ़एमएस तहत आईटी सिस्टम के लिए कॉल बंद होने तक समन्वय करना शामिल होगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वेंडर पर होगी कि कॉल समय पर बंद हो जाएं। वेंडर सभी उपकरणों की सूची बनाए रखने, शिफ्टिंग, इंस्टॉलेशन और रीइंस्टॉलेशन में आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। रेजिडेंट इंजीनियरों को निम्नलिखित रिकॉर्ड (मैन्युअल रूप से या किसी एप्लिकेशन के माध्यम से) बनाए रखने होंगे :

i. **इन्वेंटरी रजिस्टर** - बैंक में रखरखाव और निर्माता की वारंटी के अंतर्गत सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विवरण।
ii. **कॉल रजिस्टर –** उपयोगकर्ताओं से प्राप्त सभी कॉलों को लॉग करने के लिए।
iii. **वेंडर रजिस्टर -** सभी तृतीय-पक्ष वेंडर का विवरण और इन वेंडरों के साथ लॉग की गई कॉल का विवरण।
iv. **निवारक रखरखाव रजिस्टर -** प्रत्येक तिमाही के दौरान किए गए निवारक रखरखाव का विवरण।
v. **शिकायत रजिस्टर –** एएमसी के तहत पंजीकृत शिकायतों का विवरण।

16. रेजिडेंट इंजीनियर सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सेल को रिपोर्ट करेंगे। सामान्य कार्य समय रविवार और छुट्टी के दिनों को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। हालाँकि, विशेष परिस्थितियों में जैसे कि बैंक की वार्षिक खाता-बही बंद करना/अपरिहार्य परिस्थितियाँ (अर्थात सिस्टम का बड़ा ब्रेकडाउन), आदि, कार्य समय उभरती स्थिति के अनुसार अलग-अलग होंगे। आरई के लिए सामान्य कार्य समय नीचे बताए अनुसार होगा:

कार्य दिवस	**समय**	**स्थान – के लिए लागू**
सप्ताह के दिन और शनिवार (दूसरे और चौथे को छोडकर)	सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक	आरबीआई विजयवाड़ा

हेल्प डेस्क को सभी कार्य दिवसों पर तथा विशेष आवश्यकता पड़ने पर गैर-कार्य दिवसों पर भी कॉल लेने के लिए उपलब्ध रहना होगा।

*हालांकि, विशेष परिस्थितियों या बैंक की किसी अप्रत्याशित/अपरिहार्य परिस्थिति आदि के तहत, कार्य के

घंटे दी गई स्थिति के अनुसार अलग-अलग होंगे। ऐसी परिस्थितियों के लिए बैंक की ओर से कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

17. वेंडर को अपने निवासी इंजीनियरों को बार-बार नहीं बदलना चाहिए और उन्हें कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए तैनात रखना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में, वेंडर को इंजीनियर के परिवर्तन के बारे में बैंक को पहले से ही लिखित रूप में सूचित करना चाहिए।

18. वेंडर रेजिडेंट इंजीनियरों को मोबाइल फोन और लैपटॉप उपलब्ध कराएगा। इंजीनियरों की यात्रा का खर्च वेंडर द्वारा वहन किया जाएगा।

19. बैंक को किसी भी समय कम से कम दो सप्ताह की नोटिस अवधि के साथ रेजिडेंट इंजीनियरों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा, जिसके भीतर वेंडर को डीआईटी अधिकारियों के परामर्श से नए इंजीनियर की व्यवस्था करनी चाहिए। रेजिडेंट इंजीनियर समस्याओं से निपटने के लिए जिम्मेदार स्थान के लिए समर्पित कर्मी होते हैं, उन्हें हार्डवेयर, बाह्य उपकरणों, सक्रिय नेटवर्क उपकरण जैसे स्विच, मोडेम और राउटर से संबंधित समस्याओं का प्रथम स्तर का निदान और समस्या निवारण करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य होना चाहिए। उन्हें ओएस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंटी-वायरस आदि जैसे मानक सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याओं का प्रथम स्तर का निदान और समस्या निवारण करने के लिए भी पर्याप्त रूप से योग्य होना चाहिए। उन्हें ग्राहक अनुप्रयोगों में अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का निवारण करने में भी सक्षम होना चाहिए। उन्हें विंडोज 7 और इसके बाद के संस्करण/विंडोज 2008 सर्वर और इसके बाद के संस्करण, लैन/डब्ल्यूएएन, ओरेकल अनुप्रयोगों, पीसी और संबंधित बाह्य उपकरणों, विभिन्न उपकरणों आदि का उपयोग करके बैकअप/पुनर्स्थापना जैसे वातावरण में समस्याओं के प्रबंधन और समस्या निवारण का प्रशिक्षण और अनुभव होना चाहिए।

20. वेंडर के योग्य सेवा कर्मियों को बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी कंपनी/फर्म द्वारा प्रदान किया गया फोटो पहचान पत्र साथ रखना आवश्यक है। एएमसी के लिए प्रस्ताव स्वीकार करने पर निविदाकर्ता को सेवा कर्मियों के लिए फोटो सहित प्रमाणित परिचय पत्र प्रदान करना आवश्यक है।

21. बैंक के स्थान/स्थानों पर रेजिडेंट इंजीनियर कार्यस्थल के नियमों और आचार संहिताओं द्वारा शासित होते हैं और उन्हें सुरक्षा कर्मियों, पुलिस या इस उद्देश्य के लिए तैनात ऐसी एजेंसियों द्वारा सत्यापन के अधीन होना पड़ता है। रेजिडेंट इंजीनियर की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की व्यवस्था/जमा करने की जिम्मेदारी वेंडर

की होती है।

22. निषिद्ध प्रथाएँ:

बैंक की अपेक्षा है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले वेंडर संविदा/संलग्नता की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:

(i) "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी पेश करना, देना, प्राप्त करना या मांगना ;

(ii) "कपटपूर्ण व्यवहार" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए गुमराह करती है या गुमराह करने का प्रयास करती है।

(iii) "बलपूर्वक व्यवहार" का अर्थ है किसी पक्ष या पक्ष की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, जिससे किसी पक्ष के कार्यों पर अनुचित प्रभाव पड़े; तथा

(iv) "सांठगांठपूर्ण व्यवहार" का अर्थ दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करना भी शामिल है।

23. बैंक उस स्थिति में अवार्ड के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा, जब यह निर्धारित हो कि अवार्ड के लिए अनुशंसित वेंडर ने संबंधित निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय निषिद्ध कार्यकलापों में भाग लिया है।

24. बैंक किसी वेंडर को अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित समयावधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि किसी भी समय बैंक यह निर्धारित करता है कि वेंडर ने संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसे निष्पादित करने में निषिद्ध कार्यकलापों में भाग लिया है।

25. वेंडर बैंक में तैनात अपने इंजीनियर को बीमा कवर प्रदान करेगा। यदि बैंक के परिसर में काम करते समय कर्मचारी/इंजीनियर को अपने जीवन या व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान या क्षति होती है, तो

कर्मचारी/इंजीनियर या उनके कानूनी उत्तराधिकारी बैंक से किसी भी बीमा/नौकरी लाभ का दावा नहीं करेंगे।

26. एएमसी के अंतर्गत आने वाले सभी उपकरणों के लिए एक स्वास्थ्य कार्ड बनाए रखा जाएगा। वेंडर को उपकरण की खराबी की प्रत्येक घटना, डाउनटाइम की शुरुआत की तिथि/समय और मरम्मत/रखरखाव कार्य के सफल समापन, उपकरण पर किए गए मरम्मत कार्य की प्रकृति के साथ-साथ खराबी का विवरण और उसका कारण दर्ज करना होगा। निवारक रखरखाव गतिविधि का विवरण भी दर्ज किया जाएगा । वेंडर को कम से कम तिमाही में एक बार वैक्यूम क्लीनर द्वारा वारंटी के अंतर्गत आने वाली मशीनों सहित सभी मशीनों की समय-समय पर सफाई करनी होगी। इसका रिकॉर्ड वेंडर को बैंक के पास प्रस्तुत करना होगा।

27. यदि किसी तिमाही के दौरान वेंडर उपकरण के चालू रहने की अवधि को बनाए नहीं रखता है, तो अगली तिमाही के आरंभ में वेंडर को भुगतान की जाने वाली राशि से आनुपातिक रखरखाव शुल्क काट लिया जाएगा।

28. वेंडर कॉल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी छोटी/बड़ी सेवा कॉल लॉग की गई हों, और टिकट तैयार की गई हों। वेंडर डीआईटी को मासिक कॉल विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करेगा।

29. हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एएमसी के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक पहुंचने में आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए विक्रेता द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी। बैंक के आंतरिक पैकेजों के सुचारू संचालन से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए विक्रेता को केंद्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/डेटा सेंटर, आईडीआरबीटी में सिस्टम प्रशासक या एप्लीकेशन के विक्रेता के साथ सीधे समन्वय करना होगा। सेवाओं में किसी भी व्यवधान के मामले में विक्रेता को सेवाओं को फिर से शुरू होने तक इंटरनेट सेवा प्रदाता का अनुसरण करना होगा। विक्रेता को नेटवर्क, फ़ायरवॉल, एमपीएलएस, एप्लीकेशन आदि जैसे अन्य विक्रेताओं की तकनीकी टीम के साथ भी मुद्दों को हल करने में समन्वय और सहायता करनी होगी। इसके अलावा, विक्रेता को ऑनलाइन मीटिंग आयोजित करने के लिए बैंक को तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

30. वेंडर किसी भी संगठन, व्यक्ति, फर्म या उसके फ्रेंचाइजी को एफएमएस/एएमसी का उप-संविदा नहीं करेगा। यदि किसी भी समय बैंक को पता चलता है कि ऐसा उप-संविदा किया गया है, तो बैंक अपने विवेक से मामले को वेंडर को आगे भेजे बिना संविदा को समाप्त कर सकता है। बैंक को इस संबंध में किए गए सभी खर्चों को वेंडर को देय भुगतानों से समायोजित करके या अन्य माध्यमों से वसूलने की स्वतंत्रता होगी।

31. बैंक वेंडर द्वारा किसी चूक या गलती के कारण हुए नुकसान की सीमा तक वेंडर से हर्जाना मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह नुकसान उपकरण/संपत्ति को हो सकता है जो एएमसी के अंतर्गत कवर किया गया हो या नहीं।

32. चयनित बोलीदाता को इस निविदा दस्तावेज की शर्तों और नियमों से युक्त एक ए.एम.सी. करार पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए लागू स्टाम्प शुल्क वेंडर द्वारा वहन किया जाएगा। ए.एम.सी. करार पर बैंक द्वारा बताई गई तिथि के भीतर हस्ताक्षर करना होगा।

33. बैंक को व्यापक ए.एम.सी. प्रदान करने से पहले बुनियादी ढांचे का आकलन करने के लिए निविदाकर्ता के स्थल का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और वह वेंडर के बुनियादी ढांचे से असंतुष्ट होने या अन्यथा की स्थिति में इसे अस्वीकार कर सकता है।

34. यदि वेंडर संविदा के अनुसार अपने किसी दायित्व/कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो बैंक किसी भी समय संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

35. यदि किसी कारणवश वेंडर संविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे वास्तविक समाप्ति से 3 महीने पूर्व इस संबंध में नोटिस देना होगा।

36. एफएमएस प्रदाता कानून के अनुसार संबंधित अधिकारियों को भुगतान किए जाने वाले सभी करों, शुल्कों और शुल्कों का भुगतान करेगा। उपर्युक्त पैराग्राफ में दर्शाए गए विचार में एफएमएस प्रदाता द्वारा देय सभी प्रचलित कर शामिल होंगे। बैंक कानून द्वारा अपेक्षित स्रोत पर आवश्यक कर कटौती करने के लिए स्वतंत्र होगा।

37. योग्य वेंडर का चयन बैंक को सभी वस्तुओं की कुल लागत के आधार पर किया जाएगा।

38. यह निविदा हस्तांतरणीय नहीं है और किसी भी परिस्थिति में सफल बोलीदाता को किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी के साथ उप-संविदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

39. यदि संविदा करने वाला वेंडर संविदा दिए जाने के बाद उसे स्वीकार नहीं कर पाता है या संविदा स्वीकार करने के बाद काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे वेंडर को बैंक को हर्जाना देना होगा, जिसमें वह लागत भी शामिल है जो बैंक को ऐसे काम करवाने के लिए उठानी होगी। पीछे हटने का उपरोक्त कार्य स्वचालित रूप से वेंडर को इस विभाग के साथ किसी भी आगे के लेन-देन से वंचित कर देगा और सुरक्षा राशि भी

जब्त कर ली जाएगी।

40. सफल निविदाकर्ता के रूप में चुने जाने और एफएमएस/एएमसी का संविदा मिलने पर, निविदाकर्ता को बैंक द्वारा समय-समय पर उठाए जाने वाले सभी प्रश्नों/शिकायतों का जवाब देना होगा। निविदाकर्ता द्वारा टालमटोल करने पर संविदा को बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा/निविदाकर्ता के साथ आगे के संविदाओं का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

41. यह कार्यालय सबसे कम कीमत वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्राप्त निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी तरह से अधूरी निविदाएं या निर्धारित शर्तों को पूरा न करने पर उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। निविदाकर्ता द्वारा किसी भी रूप में प्रचार करने पर उनकी निविदा को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

42. **डेटा मिटाना** - बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि जब भी किसी पीसी/लैपटॉप या किसी स्टोरेज डिवाइस को उसके निपटान या उसके बाद के निपटान के लिए स्टोररूम में स्थानांतरित किया जा रहा हो, तो उस पीसी/लैपटॉप या स्टोरेज डिवाइस के उपयोगकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एएमसी/एफएमएस वेंडर से एक प्रमाण पत्र आईटी सेल को प्रस्तुत किया जाए, जिसमें बताया गया हो कि डिवाइस में मौजूद डेटा को मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार फॉर्मेट कर दिया गया है/डेटा को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। बोलीदाता अपनी लागत पर लगभग 100 डेस्कटॉप पीसी/लैपटॉप के लिए मानक डेटा मिटाने वाला सॉफ्टवेयर खरीदेगा और उसका उपयोग करेगा, और यह वैश्विक डेटा मिटाने/वाइपिंग मानक के अनुरूप होना चाहिए और डेटा मिटाने की पुष्टि करने के लिए विनाश का प्रमाण पत्र तैयार करता है। इसके अलावा, बोलीदाता ऐसे सॉफ्टवेयर/सॉफ्टवेयरों के केवल लाइसेंस प्राप्त संस्करण का ही उपयोग करेगा।

43. एएमसी के तहत किसी भी कंप्यूटर सिस्टम/लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश होने की स्थिति में, वेंडर निःशुल्क डेटा की रिकवरी के लिए जिम्मेदार होगा। प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाले दोषपूर्ण एचडीडी को वेंडर को नहीं सौंपा जाएगा या उन्हें कुचलने/क्षतिग्रस्त करने के बाद ही सौंपा जाएगा।

डी. दंड

1. यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है तो कार्य पर इंजीनियरों की अनुपस्थिति के कारण आगामी तिमाही भुगतान में प्रभारों में आनुपातिक कटौती की जाएगी।

2. एक माह में निर्धारित इंजीनियर विजिट का कम से कम 60% पालन न करने पर ₹ 1000/- का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे आगामी तिमाही भुगतान से काट लिया जाएगा।

3. यदि मासिक और/या त्रैमासिक निवारक रखरखाव कार्यक्रम नहीं किया जाता है तो त्रैमासिक बिल राशि (आधार राशि अर्थात करों को छोड़कर) का 5% जुर्माना लगाया जाएगा।

4. यदि 24 घंटे के भीतर उपकरणों का सुधारात्मक रखरखाव और हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के निर्धारित अपटाइम का पालन नहीं किया जाता है, तो बैंक के विवेक पर बाह्य उपकरणों के लिए प्रति दिन ₹300/- (अधिकतम ₹3000/- प्रति शिकायत) और पीसी/लैपटॉप के लिए प्रति दिन ₹500/- (अधिकतम ₹5000/- प्रति शिकायत) का जुर्माना लगाया जा सकता है । निवारक रखरखाव अनुसूची के पूरा होने में एंटी-वायरस पैच, ऑपरेटिंग सिस्टम पैच को अपडेट करना और डायग्नोस्टिक्स परीक्षण करना शामिल होगा। डाउनटाइम की गणना बैंक द्वारा वेंडर को रखरखाव कॉल की सूचना देने के समय से लेकर समस्या के समाधान तक की जाएगी (यदि शिकायत की सूचना देने के दो (02) घंटे के भीतर खराबी को ठीक नहीं किया जाता है या वेंडर द्वारा बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के आवश्यक स्टैंडबाय उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं)। यदि वेंडर द्वारा संविदा की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो बैंक संविदा को समाप्त करने पर भी विचार कर सकता है।

ई. वित्तीय नियम और शर्तें

1. तकनीकी-वाणिज्यिक बोली केवल निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत/अपलोड की जानी चाहिए। सूची में दर्शाई गई सभी वस्तुओं के लिए एक ही बोली प्रस्तुत की जानी चाहिए। बोलीदाता/एजेंसी को बोलियों में कोई भी शर्त नहीं डालनी चाहिए।

2. एएमसी के कवरेज का दायरा भाग Vमें सूचीबद्ध सभी वस्तुओं के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों तक होगा निविदा सूचना के भाग V में सूचीबद्ध सॉफ्टवेयर के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान किया जाना चाहिए। ए.एम.सी. को भागों में नहीं दिया जाएगा। उद्धृत दर में ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन, एप्लिकेशन/पैकेजों की कॉन्फ़िगरेशन (प्रस्तुति के लिए कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से जोड़ना) आदि का रखरखाव भी शामिल होना चाहिए। निविदाकर्ता को वारंटी के तहत आईटी इन्वेंट्री के लिए सहायता प्रदान करनी होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पार्ट्स प्रतिस्थापन, कॉल लॉगिंग, ओ.ई.एम. के

साथ अनुवर्ती कार्रवाई आदि के अलावा सभी सहायता सेवाएँ प्रदान करना शामिल है। निविदाकर्ता को ए.एम.सी. मूल्य के भीतर सहायता की लागत को शामिल करना चाहिए। किसी भी तरह से संविदा की आगे की आउटसोर्सिंग/सबलेटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। निवासी इंजीनियरों को नियमित रोजगार के रूप में कंपनी के पे रोल पर होना आवश्यक है।

3. उद्‌धृत सभी कीमतें भारतीय रुपये में होंगी। बैंक संविदा की वर्तमान अवधि के दौरान किसी भी कारण से एफएमएस/एएमसी की दरों में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा, सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों के –

a. संविदा के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी में यदि कोई वृद्धि होती है तो उसे बैंक द्वारा न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता को पूरा करने की सीमा तक वहन किया जाएगा, बशर्ते कि तैनात रेजिडेंट इंजीनियरों (आरई) को बढ़ी हुई मजदूरी वितरित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।
b. संविदा के दौरान, यदि अधिक मशीनों को ए.एम.सी. के दायरे में लाया जाता है, तो रखरखाव का कार्य वेंडर द्वारा आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त रखरखाव शुल्क के साथ किया जाएगा। ए.एम.सी. के अंतर्गत मशीनों की संख्या में कमी होने की स्थिति में, रखरखाव शुल्क आनुपातिक आधार पर कम किया जाएगा।
c. संविदा के दौरान, भुगतान का एफएमएस हिस्सा **बैंक** की आवश्यकता के अनुसार रेजिडेंट इंजीनियरों (आरई) की संख्या में वृद्धि/कमी के मामले में आनुपातिक आधार पर समायोजित किया जाएगा।

4. उद्‌धृत की गई कीमतों में व्यापक ऑन-साइट रखरखाव के लिए शुल्क शामिल होना चाहिए, और इसमें 02 निवासी इंजीनियरों, श्रम , सेवा, सुधारात्मक रखरखाव, निवारक रखरखाव, दोषपूर्ण भागों को बदलने के लिए सभी भागों/घटकों की आपूर्ति शामिल है। उद्‌धृत दरों में जीएसटी शामिल नहीं होना चाहिए। जीएसटी को अलग से दिखाया जाना चाहिए और सरकारी निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

5. जहाँ अंकों और शब्दों में दी गई राशियों के बीच कोई विसंगति है, वहाँ शब्दों में दी गई राशि लागू होगी। जहाँ इकाई दर और मात्रा से इकाई दर को गुणा करने के परिणामस्वरूप कुल मद के बीच कोई विसंगति है, वहाँ इकाई दर लागू होगी।

6. बिलों का भुगतान:

a) बैंक प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद तथा बैंक के उपयोगकर्ता विभागों से संतोषजनक निष्पादन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद, वेंडर से चालान प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर रखरखाव शुल्क के लिए त्रैमासिक भुगतान जारी करेगा, बशर्ते कि सभी अपेक्षित दस्तावेजों को संतोषजनक रूप से प्रस्तुत किया गया हो। (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 आदि के तहत जारी निर्देशों के अनुपालन को दर्शाने वाले आवश्यक दस्तावेज, जो भी लागू हो, वेंडर द्वारा त्रैमासिक चालान के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए)

b) भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा जिसमें एफएमएस (रेजिडेंट इंजीनियर्स - आरईएस) घटक और एएमसी घटक शामिल होंगे।

एएमसी घटक गणना : यह तिमाही के दौरान एएमसी के अंतर्गत कवर की गई आईटी परिसंपत्तियों की मात्रा पर आधारित होगी। तिमाही के लिए वेंडर के चालान में बैंक द्वारा पुष्टि की गई परिसंपत्ति गणना के अनुसार एएमसी शुल्क दर्शाया जाएगा।

एफएमएस (रेजिडेंट इंजीनियर - आरईएस) घटक गणना : भुगतान का एफएमएस हिस्सा आवश्यक जनशक्ति की उपस्थिति के अनुपात में होगा। कर्मचारी जितने दिन अनुपस्थित रहे, उतने दिन के मानव-दिवसों की संख्या के अनुपात में राशि भुगतान से काट ली जाएगी।

c) वेंडर को रेजिडेंट इंजीनियरों को वेतन केवल एनईएफटी/इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा करना होगा और एनईएफटी/इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान की प्रति, बैंक विवरण, सभी आरई की वेतन पर्चियां और मासिक ईएसआई और ईपीएफ कटौती के प्रमाण पत्र आदि बिल के साथ प्रस्तुत करने होंगे। वेंडर द्वारा आरई को कोई नकद भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक को इस संबंध में अनुपालन की पुष्टि करने का अधिकार है और वेंडर को किसी भी समय बैंक में तैनात आरई के संबंध में अपेक्षित न्यूनतम मजदूरी और अन्य सभी आवश्यक वैधानिक भुगतान किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही, बैंक को नियमित रोजगार के रूप में कंपनी/फर्म के पे रोल पर आरई होने का प्रमाण भी चाहिए हो सकता है। यह शर्त समय-समय पर बैंक में प्रतिनियुक्त बैकअप इंजीनियरों पर भी लागू होगी।

7. **आवश्यक प्रमाणीकरण और दस्तावेजी साक्ष्य** के साथ प्रस्तुत किए जाएँ कि कर्मचारियों को मासिक भुगतान राज्य/केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन के अनुपालन में और **ईपीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी आदि**

से संबंधित निर्देशों के अनुपालन में किया जाता है। मुख्य नियोक्ता होने के नाते बैंक सभी वैधानिक कानूनों के अनुपालन की जांच करने के लिए ऐसे दस्तावेजों की मांग करेगा। सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों को **श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्य श्रम आयुक्त (सी) के कार्यालय द्वारा जारी मौजूदा केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं मजदूरी का भुगतान करेगा, श्रेणी 'भवन परिचालन में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक' - कुशल / लिपिक - क्षेत्र बी के तहत।**

8. वेंडर द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में कोई भी आपत्ति भुगतान की तिथि से दस (10) दिनों के भीतर बैंक के संज्ञान में लाई जा सकती है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

एफ. श्रम /मजदूरी - विभिन्न नियमों का अनुपालन विधियों

1. वेंडर उपरोक्त कार्य के लिए श्रमिकों को ठेका श्रमिक के रूप में नियुक्त करते समय ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 [जिसमें नई दिल्ली के श्रम आयुक्त कार्यालय के नवीनतम प्रासंगिक आदेश शामिल हैं] और अन्य श्रम कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जहां भी लागू हो और समय-समय पर संशोधित किया गया हो। बैंक वेंडर के कार्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और किसी भी तरह से वेंडर द्वारा नियुक्त श्रमिकों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ठेका श्रम /न्यूनतम मजदूरी के संबंध में केंद्र सरकार के विभिन्न कानूनों के तहत किसी भी दायित्व से आरबीआई मुक्त होगा और वेंडर द्वारा अपने द्वारा प्रतिनियुक्त इंजीनियरों को मजदूरी/अन्य लाभों (केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित) का भुगतान न करने/देरी करने/न देने के लिए वैधानिक अधिकारियों द्वारा आरबीआई के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों के खिलाफ आरबीआई को क्षतिपूर्ति रखेगा।

2. वेंडर बैंक को सभी नुकसानों और दावों, क्षतियों, या वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 आदि या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/क़ानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा। इस संबंध में देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए वेंडर पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

3. वेंडर को अनिवार्य रूप से बैंक में तैनात कार्मिकों के बैंक खातों में सीधे जमा के माध्यम से ही वेतन और सभी घटकों का भुगतान करना होगा।

4. वेंडर बैंक में तैनात अपने कर्मचारियों/निवासी इंजीनियरों को बीमा और चिकित्सा बीमा कवर प्रदान करेगा। यदि बैंक परिसर में काम करते समय कर्मचारियों/इंजीनियरों को अपने जीवन या व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान या क्षति होती है, तो कर्मचारी/इंजीनियर या उनके कानूनी उत्तराधिकारी बैंक से किसी भी बीमा लाभ का दावा नहीं करेंगे।

जी. अप्रत्याशित घटना

1. यदि इस करार के जारी रहने के दौरान किसी भी समय, किसी युद्ध, शत्रुता, सार्वजनिक शत्रु के कृत्य, नागरिक उपद्रव, आतंकवादी गतिविधियों, कानून और व्यवस्था की स्थिति में गड़बड़ी, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, प्राकृतिक आपदा, हड़ताल, तालाबंदी या दैवीय कृत्य (जिसे बाद में घटना कहा जाएगा) के कारण पूरे या आंशिक रूप से निष्पादन में देरी होती है, बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के घटित होने की सूचना किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उसके घटित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर दी गई हो, तो ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष इस करार को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा और न ही किसी भी पक्ष के पास करार के तहत ऐसे गैर-निष्पादन या निष्पादन और डिलीवरी में देरी के संबंध में दूसरे पक्ष के खिलाफ नुकसान के लिए कोई दावा होगा। घटना के समाप्त होने या अस्तित्व में न रहने के बाद करार को यथाशीघ्र फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि इस करार के तहत किसी दायित्व का पूर्णतः या आंशिक निष्पादन किसी ऐसी घटना के कारण 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए बाधित होता है या विलंबित होता है, तो कोई भी पक्ष करार को समाप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

2. ऐसी किसी घटना के जारी रहने के दौरान, प्रत्येक पक्ष ऐसे गैर-निष्पादन या विलंबित निष्पादन के कारणों से बचने या उन्हें दूर करने के लिए उचित प्रयास करेगा।

एच. मध्यस्थता

बैंक और वेंडर संविदा के संबंध में उनके बीच उत्पन्न किसी भी असहमति या विवाद के मामले में, इसके तहत किए जाने वाले भुगतान पर इसकी व्याख्या या इस संविदा से संबंधित या इससे उत्पन्न किसी भी चीज़ के मामले में, सीधे अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि ऐसी अनौपचारिक बातचीत के प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक और वेंडर संविदा विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में असमर्थ हैं, तो पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति के माध्यम से इसे हल करने का प्रयास करेंगे । मध्यस्थता की कार्यवाही केवल विजयवाड़ा में होगी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान और इसके तहत बनाए गए और लागू नियम ऐसी कार्यवाही पर लागू

होंगे। मध्यस्थता के दौरान, कोई भी पक्ष उस कार्य/सेवा को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा जिससे विवाद संबंधित है और निविदा दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार कार्य/सेवाएं करना जारी रखेगा।

अधिकार क्षेत्र : करार से संबंधित या उससे उत्पन्न सभी कानूनी मुकदमे, कार्रवाई या कार्यवाहियां केवल अमरावती, आंध्र प्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगी।

I. बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन

1. वेंडर उच्च स्तर की पहुँच विशेषाधिकार वाली सूचना प्रणालियों तक पहुँचते समय बैंक की सूचना सुरक्षा नीति के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए सहमत है, जिसके उल्लंघन पर मानव संसाधन अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। वेंडर/ठेकेदार सेवाओं में संबंधित सेवा प्रदाता के कार्यों को बैंक या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकतानुसार सूचना सुरक्षा ऑडिट के अधीन करने का प्रावधान होना चाहिए।

2. वेंडर आश्वासन देता है कि बैंक की सूचना सुरक्षा उप नीतियों के अनुसार सूचना प्रणालियों को संभालने में उसके कर्मचारी और/या एजेंट उचित आचरण संहिता का पालन करेंगे। तैनात कर्मचारियों को बैंक की आईएस नीति की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और इसका खुलासा सार्वजनिक नहीं करना चाहिए।

जे. गोपनीयता/गैर-प्रकटीकरण खंड

1. वेंडर को यह स्वीकार करना होगा कि सभी सामग्री और जानकारी जो उसके कब्जे या ज्ञान या प्रदर्शन में आई है या आएगी, चाहे वह गोपनीय और मालिकाना डेटा हो या न हो, जिसका तीसरे पक्ष द्वारा खुलासा या उपयोग बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हमेशा उसके द्वारा सख्त गोपनीयता में रखा जाएगा और वह अपने दायित्वों के प्रदर्शन के अलावा इसका उपयोग नहीं करेगा और इसे केवल उन कर्मचारियों को जारी करेगा जिन्हें दायित्वों के प्रदर्शन के उद्देश्य से ऐसी जानकारी की आवश्यकता है, न कि किसी अन्य पक्ष को। वेंडर अपने कर्मचारियों के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए सहमत होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए। वेंडर किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के कारण उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान के लिए आरबीआई को क्षतिपूर्ति देता है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में वेंडर का दायित्व किसी भी कारण से संविदा की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बना रहेगा। इस खंड का पालन न करने को वेंडर की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और आरबीआई क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

2. वेंडर को यह वचन देना चाहिए कि उसके कर्मचारी बैंक के परिसर में तथा बैंक की सामग्री के लिए समय-समय पर लागू सभी सुरक्षा विनियमों का हर समय पालन करेंगे। वेंडर को यह भी वचन देना चाहिए कि वह किसी भी जानकारी को, चाहे वह गोपनीय हो या स्वामित्व डेटा हो या न हो, जो उसके पास आ चुकी है या आने वाली है, उसे पूरी गोपनीयता में रखेगा तथा वह ऐसी जानकारी का उपयोग अपने दायित्वों की पूर्ति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

1. ठेकेदार/एजेंसी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। बैंक परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायतों के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

2. किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

3. यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होना होगा, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।

4. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

5. ठेकेदार को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी (प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर या नियुक्ति/तैनाती की तिथि से)।

एल. क्षतिपूर्ति खंड

1. वेंडर बैंक और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशकों और प्रतिनिधियों को सभी दावों (तृतीय पक्ष के दावों सहित) कार्रवाइयों, हानि, क्षति, लागत, व्यय, शुल्कों सहित कानूनी व्ययों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करने

और क्षतिपूर्ति रखने के लिए सहमत है, जो बैंक को वेंडर की ओर से चूक के कारण भुगतना पड़ सकता है या उठाना पड़ सकता है:

a. संविदा अवधि के दौरान सरकार या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों का उल्लंघन; या

b. संविदा की शर्तों का उल्लंघन या गैर-निष्पादन; या

c. वेंडर द्वारा किए गए अभ्यावेदन और वारंटी का उल्लंघन; या

d. वेंडर या वेंडर के कारण किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई लापरवाही या धोखाधड़ीपूर्ण कार्रवाई या चूक।

2. वेंडर को बैंक को वेंडर के कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति भी देनी होगी और वेंडर का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्मचारियों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि उनका बैंक के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं होगा और वे अपनी किसी भी सेवा शर्त या अन्यथा के संबंध में बैंक के साथ या उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी औद्योगिक विवाद नहीं उठाएंगे। इसके अलावा, वेंडर को हर समय उन सभी दावों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति देनी होगी जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या उसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत किए जा सकते हैं या इस संविदा के प्रयोजन के लिए उसके रोजगार में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय किसी भी कानून या मुआवजे के नियमों के अंतर्गत किए जा सकते हैं। वेंडर अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य देय राशि के साथ-साथ उनके द्वारा की गई चूक/कमी के लिए भी पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

एम. सत्यनिष्ठा कोड

1. यदि यह पाया जाता है कि वेंडर ने सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन करते हुए निम्नलिखित कार्य या चूक की है, तो वेंडर को बोली लगाने से रोक दिया जाएगा/अयोग्य घोषित किया जाएगा :

a. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भी भौतिक लाभ की पेशकश, आग्रह या स्वीकृति करना।

b. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है

ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या किसी दायित्व से बचा जा सके।

c. खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है।

d. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या व्यक्तिगत लाभ के इरादे से खरीदकर्ता इकाई द्वारा बोलीदाता को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग करना।

e. बोलीदाता और क्रयकर्ता इकाई के किसी अधिकारी के बीच निविदा या संविदा की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन: जो क्रयकर्ता इकाई के निर्णय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।

f. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव या धमकी।

g. किसी खरीद प्रक्रिया की जांच या लेखा परीक्षा में बाधा डालना।

h. किसी प्रक्रिया में भाग लेने या संविदा सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना।

i. हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल।

j. उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहा हो या किसी सार्वजनिक खरीद संस्थान/इकाई द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो।

k. सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अलावा वेंडर द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या चूक के लिए, जो बैंक की राय में, घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करने, कार्यों को छोड़ देने, कार्यों की घटिया गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन न करने आदि जैसे कारणों से प्रतिबंध लगाने योग्य है।

l. यदि वेंडर को (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत या (ख) भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य वर्तमान कानून के अंतर्गत किसी सार्वजनिक खरीद संविदा के निष्पादन के दौरान जान-माल की हानि या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के अपराध का दोषी ठहराया गया हो।

3. यदि वेंडर द्वारा प्रस्तुत कोई भी सूचना/वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो जारी की गई निविदा/कार्य आदेश तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, और बयाना राशि/प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और बैंक वेंडर को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से भी रोक सकता है।

एन. बोलियां का मूल्यांकन

1. तकनीकी बोलियाँ पहले खोली जाएँगी और पूर्व-योग्यता और पात्रता मानदंडों के प्रति जवाबदेही और पूर्णता निर्धारित करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इस चरण में तकनीकी बोलियों में विचलन के मामले में कोई भी स्पष्टीकरण/सुधार लिखित रूप में मांगा जाएगा। निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इसे प्रस्तुत न करने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। बोलियों के मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी समिति निविदा में निर्धारित पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखेगी। केवल उन वेंडरों की भाग II (मूल्य बोली) को खोलने के लिए विचार किया जाएगा, जो पात्रता मानदंडों और अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करते पाए जाते हैं।

2. बैंक अपने ग्राहकों से निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदा के भाग II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन कर सकता है। यदि किसी भी समय किसी भी निविदाकर्ता के पास निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों से प्राप्त उसके प्रदर्शन/सेवा रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग II को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। तकनीकी मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद, केवल तकनीकी रूप से योग्य वेंडरों की मूल्य बोलियाँ वाणिज्यिक मूल्यांकन के उद्देश्य से खोली जाएंगी। ऐसे सभी वेंडरों को 2025-2028 की अवधि के लिए सूचीबद्ध वेंडरों के रूप में माना जाएगा और बैंक, यदि आवश्यक हो, तो 2025-28 की अवधि के दौरान जारी किए गए समान कार्य के किसी भी निविदा में उनकी भागीदारी की मांग कर सकता है।

3. नियमों और शर्तों में विचलन, यदि कोई हो, तो वेंडर द्वारा तकनीकी बोली में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। विचलन का उल्लेख न किए जाने का अर्थ यह होगा कि वेंडर ने उल्लिखित शर्तों और आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसके अलावा, बैंक किसी भी स्तर पर किसी भी विचलन के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वाणिज्यिक बोली में कोई विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो केवल प्रस्ताव मूल्य/दर के उद्धरण के लिए है।

ओ. बोलियों की जांच तीन चरणों में की जाएगी:

(a) पात्रता मापदंड:

बैंक सबसे पहले निविदा दस्तावेज के "योग्यता मानदंड" के अनुसार बोलीदाताओं की पात्रता की जांच करेगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ सभी "योग्यता मानदंड" को पूरा करने वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा

और वे अगले चरण के लिए योग्य होंगे/हो सकते हैं।

(b) तकनीकी मूल्यांकन:

बैंक प्रस्तावों की जांच करेगा और पात्रता मानदंड और सहायक दस्तावेजों के आधार पर तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन करेगा। केवल तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को ही वाणिज्यिक (मूल्य बोली) मूल्यांकन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

(c) वित्तीय मूल्यांकन:

बैंक केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के वाणिज्यिक प्रस्तावों को खोलेगा और उनकी जांच करेगा। वित्तीय बोलियाँ केवल एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैंक संबंधित बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोली में किसी भी परिवर्तन के वित्तीय निहितार्थ को अस्वीकार या लोड कर सकता है। तकनीकी रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी, और बोलीदाताओं को उनकी पेशकश की गई कीमतों के आधार पर L1, L2, L3 आदि के रूप में रैंक किया जाएगा।

a) **कर:** निविदाकर्ताओं द्वारा "दर क्षेत्र" में ऑनलाइन उद्धृत दरें (*केवल सकारात्मक मूल्य) जीएसटी को छोड़कर होनी चाहिए। अंतिम/सकल राशि पर पहुंचने के लिए मूल्य बोली प्रस्तुत करने के दौरान सिस्टम द्वारा जीएसटी को स्वचालित रूप से शामिल किया जाएगा (जिसे निविदाकर्ता ऑनलाइन दरें भरते समय देख सकता है)। उद्धृत राशि में अन्य सभी लागू कर, शुल्क आदि शामिल होने चाहिए। भारतीय कानूनों के अनुसार, आयकर-टीडीएस और जीएसटी-टीडीएस स्रोत पर काटा जाएगा और इसके लिए* ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

b) **बीमा:** सफल निविदाकर्ता संविदा मूल्य के लिए "सभी जोखिम पॉलिसी" और काम में लगे श्रमिकों के लिए कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी लेगा। बीमा पॉलिसी संविदा की अवधि के साथ वैध/सह-समाप्त होगी। ठेकेदार काम को निष्पादित करते समय व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। ठेकेदारों पर तीसरे पक्ष की देयता सभी जोखिम पॉलिसी किसी भी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम ₹2.00 लाख और किसी भी एक दुर्घटना या घटना के लिए संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में ₹5.00 लाख होगी।

c) **संविदा करार पर हस्ताक्षर**:

i. पात्रता की शर्तें, कार्य का दायरा, निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य नियम और शर्तें, जिन्हें पूर्व में संविदा

की शर्तों के रूप में संदर्भित किया गया है और निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न तकनीकी विनिर्देश, बैंक और निविदाकर्ता के बीच बाद में आदान-प्रदान किया गया पत्राचार और दिया गया कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ किए जाने वाले अंतिम संविदा का आधार होगा।

ii. बैंक से निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता कम से कम 100 रुपये मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संविदा को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकर्ता इस निविदा दस्तावेज में नियमों और शर्तों के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। स्टाम्प शुल्क का वहन और भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। करार पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार होगा, चाहे ऐसा संविदा बाद में निष्पादित हो या न हो।

iii. निविदाकर्ता संविदा को किसी को नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता (आरबीआई) की लिखित सहमति के बिना संविदा के किसी भी हिस्से को उप-अनुबंधित नहीं करेगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता संविदा को रद्द करने के लिए ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है, जिसके बाद सुरक्षा जमा / प्रतिधारण राशि नियोक्ता को जब्त कर ली जाएगी, ठेकेदार के खिलाफ उसके अन्य उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:

संपर्क व्यक्ति (भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश):

a) श्री हरि कृष्ण कोथा - 9742251890 - harikotha@rbi.org.in
b) आमनि स्वर्णा, सहायक प्रबंधक मोबा- 8500555530
   ईमेल – amaniswarna@rbi.org.in
c) पी अरुणा, सहायक प्रबंधक मोबाइल – 7680913766 ईमेल–aruna@rbi.org.in

बैंक के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बोलीदाता के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना

खंड V

भाग ए - कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों का विवरण

नोट: नीचे दी गई सूची संपूर्ण नहीं है। बैंक अपने विवेकानुसार एफएमएस और व्यापक एएमसी के अंतर्गत आईटी परिसंपत्तियों/सॉफ्टवेयर को जोड़ या हटा सकता है।

क्रम	मद	विवरण	एएमसी के	वारंटी के अंतर्गत	कुल
01	पीसी	विषम प्रकार के डेस्कटॉप पी.सी.	32	26	58
02	ऑल इन वन (AIO)	विषम बनावट के डेस्कटॉप AIOs	03	07	10
02	प्रिंटर	लेजरजेट/इंकजेट/ नेटवर्क/मल्टीफंक्शनल/ऑफिसजेट/पर्सनल/डी डी/पीओ/ऑल इन वन/डॉट मैटिक्स/बी/डब्ल्यू	14	10	24
03	स्कैनर	एडीएफ, फ्लैटबेड,दोहरा/द्वैध	03	04	07
04	लैपटॉप/टैबलेट	विषम प्रकार के लैपटॉप/टैबलेट	13	15	28

भाग बी - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विवरण: एक्रोबेट रीडर, ऑफिस 365 प्रो प्लस, एमएस आउटलुक (2007 और 2013), एमएस विजुअल इंटर डेव, एमएस बैकऑफिस सीएएल, एमएस बैकऑफिस सर्वर, एमएस ऑफिस, एमएस पावर बीआई, ई कवच , नोवेल नेटवेयर, ओरेकल, ओरेकल 8 डेवलपर, आईबीएम एमक्यू, ओरेकल 8 सर्वर, एमएस टीम्स, ज़ूम, एससीओ ओपन सर्वर (यूनिक्स), एससीओ-यूनिक्स संस्करण 6.0, यूनिक्स एप्पल सर्वर, विंडोज 2008 सर्वर 5 सीएएल के साथ, विंडोज 7 प्रोफेशनल, विंडोज 8.1, विंडोज 10, नेत्रहीनों के लिए स्क्रीन रीडर के रूप में जॉस सॉफ्टवेयर, केएमटी और अन्य ओएस/सर्वर से संबंधित सॉफ्टवेयर। जहां भी नवीनतम सॉफ्टवेयर संस्करण स्थापित हैं, उन्हें माना जाएगा।

भाग सी- ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तकनीकी सहायता:

1	विंडोज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम (विंडोज़ 7 और ऊपर)
2	मैक ओएस, आईओएस
3	SCO Unix 5.x सर्वर, SCO Unix संस्करण 6.0 और ऊपर
4	विंडोज़ 2003, विंडोज़ 2008, विंडोज़ 2012 और इसके बाद के सर्वर संस्करण
5	लिनक्स/ यूनिक्स ओएस

भाग डी:

पीसी के मॉडल –

डेल ऑप्टिप्लेक्स 5080 एसएफएफ

डेल ऑप्टिप्लेक्स 5000

डेल ऑप्टिप्लेक्स 7010

डेल एलसीडी मॉनिटर E2223HN 21.5" VA
डेल ऑप्टिप्लेक्स 5400 एआईओ
डेल ऑप्टिप्लेक्स AIO 7410
एचपी एलीट वन G9
डेल ऑप्टिप्लेक्स 7780 AIO - बिना टच के

लैपटॉप मॉडल

एचपी प्रोबुक 430
एचपी प्रोबुक 830 G8
डेल लैटीट्यूड 3420
डेल लैटीट्यूड 5430
अक्षांश 7320
Apple iPad 11" प्रो OS आधारित टैबलेट
ipad
मैक्बुक एयर
लेनोवो थिंकपैड L13 G2

प्रिंटर
एचपी लेजर जेट प्रोमएफपी M226DW
कैनन इमेज क्लास MF445DW
कैनन MB 5170 AIO प्रिंटर
एचपी लेजरजेट प्रो MFPM329dw
एचपी लेजर जेट प्रो MFPM438n
एचपी ऑफिसजेट प्रो 9010
एचपी ऑफिस जेट प्रो 9130बी

स्कैनर :
कैनन DR-C240
एचपी स्कैनजेट 7000 snw1
LIPI पाणिनी CTS स्कैनर

भाग ई: एएमसी धारक द्वारा बनाए रखे जाने वाले स्पेयर पार्ट्स की ऑनसाइट सूची की सूची:

क्रम	मद	मात्रा
01	एसएमपीएस	02
02	डीडीआर4 8 जीबी रैम	02

03	विंडोज 11 ओएस वाला लैपटॉप	01
04	डेस्कटॉप i5 प्रोसेसर, 8GB RAM, 500 GB HDD स्टैंडबाय के साथ	02
05	लेजरजेट प्रिंटर	02
06	माउस (वायर्ड)	05
07	कीबोर्ड	05
08	वायरलेस कीबोर्ड और माउस सेट	02
निविदा दस्तावेज में दर्शाए अनुसार उपकरण के चालू रहने की अवधि बनाए रखने के लिए कोई अन्य मद।		

बैंक के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बोलीदाता के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना है।

खंड VI

एनईएफटी विवरण

नाम : आरबीआई आंध्र प्रदेश कार्यालय

खाता संख्या : 186003001

आईएफएससी कोड : RBIS0APPA01 (0 शून्य है)

टिप्पणी : आईटी अवसंरचना के लिए एएमसी और एफएमएस

उद्यम पंजीकरण संख्या (उद्योग आधार ज्ञापन संख्या) वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

अनुलग्नक-ए
सूचीकरण सूत्र

नवीनीकरण के मामले में, आगामी वर्षों के लिए एफएमएस और एएमसी की दर की गणना इंडेक्सेशन के आधार पर की जाएगी। इस तरह के इंडेक्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मूला इस प्रकार होगा:

एएमसी के लिए फार्मूला

A = B [15 + {45 x (WPIC / WPIP)} + {40 x (CPIC / CPIP)}] x 1/100

जहां,

A = चालू/नये वर्ष के लिए संविदा राशि;

बी = समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए संविदा राशि

डब्ल्यूपीआईसी = चालू/नए वर्ष के लिए संपर्क की प्रारंभ तिथि से छह (06) महीने पहले विद्युत उपकरणों के लिए थोक मूल्य सूचकांक;

डब्ल्यूपीआईपी = पिछले वर्ष के समाप्त होने के लिए संपर्क की प्रारंभ तिथि से छह (06) महीने पहले विद्युत उपकरणों के लिए थोक मूल्य सूचकांक ;

सीपीआईसी = चालू/नए वर्ष के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से छह (06) महीने पहले शहरी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक;

सीपीआईपी = शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, पिछले वर्ष की समाप्ति के लिए संविदा की प्रारंभ तिथि से छह (06) महीने पहले।

एफएमएस का सूत्र:

C = D {15 + 85 x (CPIC / CPIP)}x1/100

जहां,
C = चालू/नये वर्ष के लिए सेवाओं हेतु मैन मंथ दर।

D = पिछले वर्ष की सेवाओं के लिए मानव माह दर।

सीपीआईसी = अखिल भारतीय स्तर पर शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो सामान्यतः चालू वर्ष के लिए संविदा प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व के छह (06) महीनों के सूचकांक पर आधारित होता है।
सीपीआईपी = अखिल भारतीय स्तर पर शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो सामान्यतः पिछले वर्ष के लिए संविदा की आरंभ तिथि से पूर्व के छह (06) महीनों के सूचकांक पर आधारित होता है।

अनुलग्नक ।

(ई-निविदा प्रस्तुत करते समय मूल पृष्ठ अपलोड किए जाएंगे)

कंपनी/फर्म का प्रोफाइल:

कृपया सुनिश्चित करें कि आपके उत्तर में सभी प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं। यदि आप अपने उत्तर का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त अनुसूचियाँ या दस्तावेज़ का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे प्रासंगिक प्रश्न से स्पष्ट रूप से संदर्भित हैं

A. कंपनी/फर्म की मूल जानकारी

विवरण	**उत्तर**
1) कंपनी/फर्म का पंजीकृत नाम	
2) अनुरोध का जवाब देने वाले अधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम	
3) संपर्क टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई-मेल पता	
4) पंजीकरण एवं अन्य संख्या	
5) पंजीकृत कार्यालय (पता)	
6) संगठन का कानूनी स्वरूप	
7) मूल कंपनी का नाम और पता, यदि कोई हो	
8) निगमन की तिथि, प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों और प्रभागों की सूची, प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं की सूची, इसके विकास में प्रमुख मील के पत्थर सहित इकाई का संक्षिप्त विवरण	
9) एफएमएस/एएमसी/सॉफ्टवेयर विकास का संक्षिप्त विवरण सेवा	
10) पिछले 3 वर्षों में ₹ 9 लाख/₹ 5.6 लाख/₹ 4.5 लाख से कम मूल्य वाले समान वातावरण में प्रदान किए गए एफएमएस/एएमसी समाधान की सूची।	
11) वित्तीय: (में करोड़) <u>कारोबार</u> क) कुल ख) जिसमें से एफएमएस/एएमसी <u>लाभ से</u>	

a) कुल b) जिसमें से एफएमएस/एएमसी (पिछले 3 वर्षों का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न करें)	
12) भारत में भौगोलिक विस्तार: कार्यालयों की संख्या स्थान एफएमएस/एएमसी के लिए सॉफ्टवेयर समर्थन	
13) विजयवाड़ा में प्रत्येक श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या: (a) सॉफ्टवेयर विकास/समर्थन (b) इंजीनियरिंग/हार्डवेयर समर्थन (c) बिक्री एवं अन्य कार्मिक	
14) (i) कंपनी द्वारा प्राप्त गुणवत्ता मानकों का नाम और स्तर (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) (ii) क्या यह किसी विशिष्ट प्रभाग के लिए है या सम्पूर्ण संगठन के लिए? कृपया निर्दिष्ट करें। (iii) क्या यह उस विभाग के लिए है जो एएमसी/एफएमएस का कार्य संभाल रहा है? कृपया निर्दिष्ट करें।	
15) क्या वेंडर के पास ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के तहत जारी वैध लाइसेंस है? यदि हां, तो कृपया प्रति संलग्न करें। यदि नहीं, तो क्या वेंडर को छूट दी गई है और यदि हां, तो किस कारण से।	
क्षेत्राधिकार में किसी भी कारण से कानूनी कार्रवाई की जा रही है।	
17) कृपया समस्या समाधान के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स दें। मैट्रिक्स में कंपनी के मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम शामिल होना चाहिए। एस्केलेशन मैट्रिक्स में उल्लिखित अधिकारियों के पदनाम, फोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल पता।	
बी. परियोजना अनुभव और ग्राहक जानकारी:	

विवरण	उत्तर
) पिछले 5 वर्षों में पूर्ण की गई वर्तमान परियोजनाओं के समान एफएमएस/एएमसी की संख्या और सूची:: (a) बैंकिंग/वित्तीय संस्था (सं. और सूची) ग्राहक विशिष्ट बहु-उपयोगकर्ता (संख्या और सूची) विकास परियोजनाएं	
2) उपरोक्त दर्शाई गई परियोजनाओं के लिए कृपया संदर्भ हेतु निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें: a) संगठन b) संपर्क व्यक्ति एवं पदनाम, c) टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल.	
सी. अन्य विवरण:	
विवरण	**उत्तर**
1) परियोजना संगठन संरचना (कृपया विस्तार से उस रणनीति का वर्णन करें जिसे उद्यम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाने का प्रस्ताव करता है कि एफएमएस/एएमसी को गैर-विघटनकारी तरीके से और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आगे बढ़ाया जाए)	
2) मान्यताएँ, जोखिम और बाधाएँ (स्पष्ट रूप से बताएँ कि आपकी मान्यताएँ, जोखिम और बाधाएँ क्या हैं)	
3) रिज़र्व बैंक से बुनियादी ढांचे की आवश्यकता	

नोट: कृपया अन्य प्रासंगिक प्रकृति की अन्य जानकारी प्रदान करें, जो आपको लगता है कि अन्यत्र शामिल नहीं की गई है।

हस्ताक्षर:
नाम:
पदनाम:
तारीख

अनुलग्नक II

<u>आरबीआई आंध्र प्रदेश में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित रेजिडेंट/एएमसी इंजीनियरों का विवरण</u>

(यह पृष्ठ मूल रूप में ई-निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किया जाएगा)

क्रम	इंजीनियर/सेवाकर्मी का नाम, आवासीय पता और मोबाइल नंबर	शैक्षणिक योग्यता	एक सरकारी पहचान दस्तावेज़ (पैन/आधार कार्ड/पासपोर्ट/ राशन कार्ड)	सेवा के वर्षों की संख्या	अनुभव के क्षेत्र के लिए दस्तावेजी साक्ष्य	टिप्पणी, यदि कोई हो
		(ए)	(बी)	(सी)		
1					(ए) (बी) (सी)	
2					(ए) (बी) (सी)	

(ए), (बी) और (सी) के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए जाने चाहिए।

अनुलग्नक III

पिछले पांच वर्षों के दौरान वेंडर द्वारा निष्पादित एएमसी की सूची (कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें)

(यह पृष्ठ मूल रूप में ई-निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किया जाएगा)

क्रमांक	ग्राहक का नाम और स्थान	अवधि	संविदा में शामिल कार्य की प्रकृति जैसे एएमसी, सर्वर, पीसी आदि की स्थापना, सिस्टम एकीकरण	ग्राहक का संपर्क, आधिकारिक विवरण और पूरा पता	संविदा राशि	पूर्ण होने की अवधि निर्धारित / वास्तविक	क्या काम अधूरा छोड़ा गया या किसी भी पक्ष की ओर से संविदा को समाप्त कर दिया गया। यदि हां, तो पूरा विवरण दें	कारण सहित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी, यदि कोई हो
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

अनुलग्नक III (ए)

<u>ठेकेदार के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र</u>

(ई-निविदा प्रस्तुत करते समय ग्राहक का मूल प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है)

ग्राहक का नाम और पता:
मैसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1	कार्य का नाम तथा संक्षिप्त विवरण	
2	संविदा संख्या और दिनांक	
3	संविदा राशि	
4	कार्य शुरू करने की तारीख	
5	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	
6	वास्तविक समापन तिथि	
7	विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का ब्यौरा (राशि बताएं) यदि कोई हो	
8	पूर्ण किए गए कार्य और भुगतान की गई कुल राशि	
9	उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया जाता है	
10	क्या ठेकेदार ने कार्य निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया था?	
11	i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग बताएं) (किसी एक पर निशान लगाएं)	▫ असाधारण ▫ बहुत अच्छा ▫ अच्छा ▫ संतोषजनक ▫ खराब
	ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो।	
12	i) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता का सहारा लिया?	
	ii) यदि हां, तो दावे की कुल राशि	
	iii) कुल प्रदान की गई राशि	
13	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियां।	
	क) तकनीकी दक्षता (किसी एक पर निशान लगाएं)	▫ असाधारण ▫ बहुत अच्छा ▫ अच्छा ▫ संतोषजनक ▫ खराब
	ख) वित्तीय सुदृढ़ता (किसी एक पर निशान लगाएं)	▫ असाधारण ▫ बहुत अच्छा ▫ अच्छा ▫ संतोषजनक ▫ खराब
	ग)पर्याप्त पुर्जों का जुटाव	▫ असाधारण ▫ बहुत अच्छा ▫ अच्छा ▫ संतोषजनक ▫ खराब
	घ) जनशक्ति जुटाना (किसी एक पर निशान लगाएं)	▫ असाधारण ▫ बहुत अच्छा ▫ अच्छा ▫ संतोषजनक ▫ खराब
	ई) सामान्य व्यवहार (किसी एक पर निशान लगाएं)	▫ असाधारण ▫ बहुत अच्छा ▫ अच्छा ▫ संतोषजनक ▫ खराब

रिपोर्टिंग अधिकारी (ग्राहक) के हस्ताक्षर* कार्यालय मुहर के साथ

*अधीक्षण अभियंता या समकक्ष रैंक का अधिकारी

नोट: निविदाकर्ता को अपने कम से कम दो ऐसे ग्राहकों से ग्राहक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिनके लिए उन्होंने योग्य कार्य किए हैं। सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी ग्राहक प्रमाणपत्र के साथ भुगतान का पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए और निजी संगठन के मामले में टीडीएस प्रमाणपत्र की प्रति आवश्यक है।

अनुलग्नक IV

क्षतिपूर्ति का वचनपत्र/प्रमाणपत्र

(निविदाकर्ता के लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

(यह पृष्ठ मूल रूप में ई-निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किया जाएगा)

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय

प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन

सैफाबाद , हैदराबाद

महोदय,

आरबीआई, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए वेंडरों का पैनल बनाना और कार्य सौंपना

आपके शीर्षक निविदा नोटिस दिनांकित के प्रत्युत्तर में, हम प्रमाणित करते हैं कि हमने इसमें निर्धारित सभी पात्रता मानदंड पूरे कर लिए हैं और

1. हम उक्त संविदा में उल्लिखित कोटेशन प्रस्तुत करने के सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करते हैं।
2. हम प्रमाणित करते हैं कि वाणिज्यिक बोली में हमारे द्वारा कोई नियम व शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं।
3. हम गारंटी देते हैं कि हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली मरम्मत और रखरखाव सेवा किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था के किसी भी पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य या अन्य संपत्ति अधिकार का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करेगी। हम सहमत हैं कि हम बैंक को किसी भी दावे या मांग, कार्रवाई या कार्यवाही से क्षतिपूर्ति करेंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस नियम के किसी भी उल्लंघन या उक्त उल्लंघन से उत्पन्न होती है।
4. हम बैंक की आईएस नीति दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
5. हम महिलाओं के यौन उत्पीड़न (प्रतिषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं का पालन करेंगे।
6. हम ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, केन्द्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923, पीएफ/ईएसआई अधिनियम तथा देश में प्रचलित अन्य श्रम कानूनों के अंतर्गत उत्पन्न सभी दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. हम ए.एम.सी. की अवधि के दौरान वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, जिसका अनुपालन करना हमारा दायित्व है।

भवदीय,

हस्ताक्षर
नाम:
पदनाम:
स्थान:

अनुलग्नक-V

<u>अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप</u>

(ई-निविदा प्रस्तुत करते समय बैंकर्स प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपलोड करनी होगी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार मेसर्स/श्री.. जिनका पता हाशिये पर अंकित है, हमारे बैंक के एक सम्मानित ग्राहक हैं और उन्हें रु.. (रुपये ....) की सीमा तक किसी भी कार्य के लिए अच्छा माना जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी अन्य अधिकारीगण पर किसी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर) बैंक के लिए

ई-मेल:

पता:

संपर्क नं.

टिप्पणी:

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र 04 जून 2025 को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए।
2. बैंकर्स प्रमाणपत्र (सॉल्वेंसी) बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, जो क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टालिन सेंट्रल, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश - 520 002 को संबोधित होना चाहिए।
3. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए, जैसा कि इसमें बैंक में दर्ज हैं।

अनुलग्नक – VI

आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप

(वेंडर का पत्रशीर्ष)

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय
प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन
सैफाबाद, हैदराबाद

महोदया/महोदय,

हमने निविदा में निर्दिष्ट शर्तों, तकनीकी विनिर्देशों, कार्य के दायरे आदि की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त निविदा में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा किया है और जांच की है तथा निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की है। हम निविदा में निर्दिष्ट कार्यों को वाणिज्यिक बोली में उल्लिखित दरों पर और लिखित रूप में विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट समय के लिए निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, साथ ही ऐसी अन्य सामग्रियों के साथ जो प्रदान की गई हैं, और अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकती हैं।

1. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी बोली निविदा के भाग-I के खुलने की तारीख से तीन (03) महीने तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी।

2. यदि यह बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो हम निविदा की सभी शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और ऐसा न करने पर, निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित धनराशि जब्त कर आपको भुगतान करने के साथ-साथ संविदा की लिखित स्वीकृति भी देंगे।

3. हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

4. बोली दो भागों में प्रस्तुत की जाती है। भाग I (तकनीकी बोली) में सभी नियम व शर्तें तथा तकनीकी विवरण शामिल हैं, लेकिन वाणिज्यिक मूल्य कहीं भी किसी भी तरह से इंगित नहीं किया गया है, तथा भाग II (वाणिज्यिक बोली) में केवल एमएसटीसी पोर्टल में दिए गए प्रारूप में बैंक के ई-टेंडर प्रोफार्मा में मूल्य बोली शामिल है।

5. हमने पात्रता मानदंड और निविदा दस्तावेज के अन्य भागों में मांगे गए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड कर दी हैं।

दिनांक _______________ दिन ____________2025.
मेसर्स   के लिए और की ओर से

(हस्ताक्षर सहित मुहर)
नाम
पदनाम
तारीख और स्थान

नोट: प्राधिकरण कंपनी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रदान किया जाना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

साक्षी:

1. नाम, पता और तारीख सहित हस्ताक्षर

2. नाम, पता और तारीख सहित हस्ताक्षर

तारीख

अनुलग्नक – VII

आरबीआई, आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों के रखरखाव के लिए नियमों और शर्तों की सामान्य स्वीकृति

(यह पृष्ठ मूल रूप में ई-निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किया जाएगा)

क्रम	**मद**	**विवरण**
01	कंपनी/फर्म का नाम और पता	
02	क्या कंपनी/फर्म दस्तावेज़ में दर्शाए गए सभी नियमों और शर्तों तथा कार्य के दायरे को स्वीकार करती है	
03	उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में यदि कोई विचलन हो तो उसे यहां विस्तार से दर्शाया जाए।	

हस्ताक्षर

(कंपनी/फर्म का नाम)

अनुलग्नक VIII

निषेध के संबंध में वचनबद्धता / घोषणा / प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा

(वेंडर द्वारा अपने लेटर हेड पर विधिवत मुहरबंद एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश

महोदया/प्रिय महोदय

कार्य का नाम: ....

1. मैं/हम .... (वेंडर का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि

क) मैं/हम या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म* को भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई द्वारा _______ तक प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।

ख) मैंने/हमने अथवा हमारी किसी संबद्ध फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में भारत अथवा किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

ग) यदि मुझे/हमें या हमारी किसी सहयोगी फर्म को उपर्युक्त कार्य के लिए कार्य दिए जाने के समय या उससे पहले भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्थान द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाला जाता है, तो हम

बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।

2. मैं/हम, ... (वेंडर का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म*... (संबद्ध फर्म(फ़र्मों) के नाम) को .... (भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाला गया है और यह ....(तारीख) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(वेंडर की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख
स्थान

(नोट: उपरोक्त दो घोषणाओं में से जो लागू न हो उसे काट दें)

*संबद्ध फर्म: यदि प्रबंधन साझा है, या प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के पास पर्याप्त या बहुसंख्यक शेयर हैं और इस कारण से उसके पास नियंत्रणकारी आवाज़ है, तो फर्म को "संबद्ध फर्म" कहा जाएगा। इसके अलावा सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्म माना जाएगा।

अनुलग्नक IX
भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र हेतु प्रारूप।

(वेंडर द्वारा अपने पत्र शीर्ष पर विधिवत मुहरबंद एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

प्रति

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश कार्यालय
प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन
सैफाबाद, हैदराबाद-500 004

महोदया/महोदय

कार्य का नाम: ....

1. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि .... (वेंडर के स्थान के देश सहित नाम और पता) ने 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी उसके बाद के आदेशों/संशोधन की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि .... (वेंडर का नाम)

i . भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या

iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश से है, जहां भारत सरकार ने ऋण सुविधा प्रदान की है, या

iv. वह ऐसे देश से है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती हो, जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई हो (जो उपरोक्त में से लागू न हो उसे काट दें)

मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि .... (वेंडर का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधानों के तहत विचार किए जाने के योग्य है। मैं/हम .... (वेंडर का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदार को तब तक कोई काम नहीं देंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता।

मैं/हम जानते और समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह घोषणा/वचनबद्धता/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना राशि जमा/प्रदर्शन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा को

जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें रोकना शामिल है।

वेंडर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर रबर स्टाम्प के साथ
तारीख:
स्थान:

भारतीय रिज़र्व बैंक

आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय

हैदराबाद

आरबीआई, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय (विजयवाड़ा) में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए वेंडरों का पैनल बनाना और कार्य सौंपना

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/4/25-26/ईटी/166

भाग II

निविदाकर्ता का नाम: ____________________________

पता: ____________________________________

____

____

____

निविदा आमंत्रण हेतु सूचना की तिथि	: 04 जून 2025
निविदा प्रस्तुत करने की आरंभिक तिथि	: 04 जून 2025 को 14:00 बजे
बोली-पूर्व बैठक की तिथि	: 11 जून 2025 को 11:00 बजे
निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	: 18 जून 2025 को 14:00 बजे तक
निविदा के भाग-I के खुलने की तिथि	: 18 जून 2025 को 16:00 बजे
निविदा के भाग II को खोलने की तिथि और समय	: भाग I की जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा

अनुलग्नक - X

भाग-II का प्रारूप - बिना मूल्य की मात्रा का बिल

वित्तीय / मूल्य बोली प्रारूप - *केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाना है*

आरबीआई आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाह्य उपकरणों के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमएस) और वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के लिए वेंडरों का पैनल बनाना और कार्य सौंपना

लॉट सं.	लॉट का नाम	विवरण	मात्रा (ए)	माप की इकाई (यूओएम)	प्रति यूनिट दर प्रति वर्ष ₹ में (जीएसटी छोड़कर) एमएसटीसी पोर्टल पर वेंडर द्वारा भरा जाना है (बी)	प्रति 9 माह प्रति यूनिट अंतिम दर (जीएसटी सहित)
1	*वार्षिक रखरखाव संविदा - पी.सी.*	*विषम प्रकार के डेस्कटॉप पी.सी.*	32	संख्या (सं.)		बोलीदाता को यह फ़ील्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम स्वचालित रूप से मूल्यों की गणना करेगा। *(ए)*[(बी)*0.75*1.18]*
2	*वार्षिक रखरखाव संविदा – एआईओ*	*विषम बनावट के डेस्कटॉप एआईओ*	3	संख्या (सं.)		बोलीदाता को यह फ़ील्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम स्वचालित रूप से मूल्यों की गणना करेगा। *(ए)*[(बी)*0.75*1.18]*
3	*वार्षिक रखरखाव संविदा - प्रिंटर*	*लेजरजेट/इंकजेट/नेटवर्क/मल्टीफंक्शनल/ऑफिसजेट/पर्सनल/डीडी/पीओ/एआईओ/डीओटी मैट्रिक्स/बीडब्ल्यू/कलर प्रिंटर*	14	संख्या (सं.)		बोलीदाता को यह फ़ील्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम स्वचालित रूप से मूल्यों की गणना करेगा। *(ए)*[(बी)*0.75*1.18]*
4	*वार्षिक रखरखाव संविदा – स्कैनर्स*	*एडीएफ, फ्लैटबेड, डुअल/डुप्लेक्स*	3	संख्या (सं.)		बोलीदाता को यह फ़ील्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम स्वचालित रूप से मूल्यों की गणना करेगा। *(ए)*[(बी)*0.75*1.18]*
5	*वार्षिक रखरखाव संविदा – लैपटॉप/टैबलेट*	*विषम प्रकार के लैपटॉप/टैबलेट*	13	संख्या (सं.)		बोलीदाता को यह फ़ील्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम स्वचालित रूप से मूल्यों की गणना

						करेगा। *(ए)*[(बी)*0.75*1.18]*
6	*वार्षिक रखरखाव संविदा – प्रोजेक्टर*	*विषम प्रकार के प्रोजेक्टर*	शून्य	संख्या (सं.)		बोलीदाता को यह फ़ील्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम स्वचालित रूप से मूल्यों की गणना करेगा। *(ए)*[(बी)*1.18]*
7	*निविदा विनिर्देशों के अनुसार, उच्च कुशल रेजिडेंट इंजीनियर की तैनाती के लिए वार्षिक सेवा शुल्क (एफएमएस शुल्क सहित)*		**01**	संख्या (सं.)		बोलीदाता को यह फ़ील्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम स्वचालित रूप से मूल्यों की गणना करेगा। *बी*0.75*1.18*
8	*निविदा विनिर्देशों के अनुसार कुशल रेजिडेंट इंजीनियर की तैनाती के लिए वार्षिक सेवा शुल्क (एफएमएस शुल्क सहित)*		**01**	संख्या (सं.)		बोलीदाता को यह फ़ील्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम स्वचालित रूप से मूल्यों की गणना करेगा। *बी*0.75*1.18*

कृपया ध्यान दें:

i. ***निविदाकर्ता को अपनी मूल्य बोलियां प्रस्तुत करते समय निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए।***

ii. ***निविदाकर्ता को सभी लॉट आइटम के लिए जीएसटी को छोड़कर प्रति वर्ष यूनिट दरें प्रदान करनी चाहिए। (उदाहरण के लिए - प्रति डेस्कटॉप/लैपटॉप/प्रिंटर/स्कैनर/प्रोजेक्टर/सेवा शुल्क)। सिस्टम स्वचालित रूप से 9 महीने के लिए मूल्य की गणना करेगा और जीएसटी भाग को शामिल करेगा और अंतिम मूल्य प्रदर्शित करेगा। दरें केवल एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उद्धृत की जानी चाहिए। मूल्य बोली को तकनीकी बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।***

iii. ***लॉट संख्या 7 और 8 के लिए निर्देश:***

सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा, जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय (मुख्य श्रम आयुक्त (सी) के कार्यालय द्वारा जारी मौजूदा केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना में निर्दिष्ट है, श्रेणी 'भवन संचालन में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों' के तहत - कुशल / लिपिक - क्षेत्र बी। नवीनतम अधिसूचना के लिए कृपया 'न्यूनतम मजदूरी | मुख्य श्रम आयुक्त (clc.gov.in)

' *लिंक देखें। कृपया ध्यान दें कि मूल्य बोलियां जो निवासी इंजीनियरों के लिए न्यूनतम मजदूरी मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं उन्हें निविदा प्रक्रिया से पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा।*

लॉट संख्या 7 और 8 के लिए न्यूनतम मजदूरी गणना :

विवरण	उच्च कुशल (एक आर.ई.) (₹ में)	कुशल (एक आर.ई.) (₹ में)
क्षेत्र बी में कार्यरत कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी [ए]	981.00	893.00
एएमसी सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित रेजिडेंट इंजीनियरों की संख्या [बी]	1.00	1.00
वीडीए सहित नौ महीनों के लिए कुल मूल वेतन (ए x बी x 26 दिन) [सी]	25,506.00	23,218.00
कर्मचारी राज्य बीमा [3.25% x सी] [डी]	लागू नहीं	लागू नहीं
कर्मचारी भविष्य निधि [13% x सी] [ई]	1,950.00	1,950.00
बोनस [8.33% x सी] [एफ]	लागू नहीं	लागू नहीं
वीडीए सहित नौ महीने का कुल वेतन [जी]	2,47,104.00	2,26,512.00
कुल योग [एच]	4,73,616.00	
जीएसटी@18% [I]	85,250.88	
दो आरई का नौ महीने का कुल वेतन जीएसटी सहित @ 18%	5,58,866.88	

महत्वपूर्ण: लॉट संख्या 7 और 8 के लिए दरें उद्धृत करते समय, सिस्टम किसी भी ऐसे उद्धरण को स्वीकार नहीं करेगा जो ऊपर परिभाषित न्यूनतम मजदूरी से कम हो, अर्थात एक उच्च कुशल और एक कुशल आरई के लिए क्रमशः 2,47,104 रुपये और 2,26,512 रुपये।

अनुलग्नक XI

विवरण का बैंकर्स

हमारे बैंकर्स का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में अपलोड किया जाता है:

विवरण	बैंकर
खाता संख्या	
खाते का प्रकार:	
बैंक का नाम और पूरा डाकपता:	
बैंक शाखा का नाम	
आईएफ़एस कोड	
संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम	
टेलीफोन नं. और ईमेल आईडी आदि	
क्या निविदाकर्ता द्वारा ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया गया है	
वह अवधि जब से निविदाकर्ता बैंकर के साथ बैंकिंग कर रहा है।	
कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता अपने बैंकर के बारे में देना चाहे।	

स्थान:

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:
(नाम/पदनाम एवं मुहर के साथ)

कृपया रद्द किए गए चेक की एक प्रति संलग्न करें

अनुलग्नक XII
दस्तावेजों के लिए चेकलिस्ट/ अनुपालन मैट्रिक्स

क्रम सं.	*पात्रता मापदंड*	*आवश्यक दस्तावेज़*	*प्रस्तुत (हाँ/नहीं)*	*विचलन, यदि कोई हो*
1	निविदाकर्ता एक लिमिटेड कंपनी या पंजीकृत भागीदारी या स्वामित्व वाली फर्म होनी चाहिए और कंपनी अधिनियम के तहत एक पंजीकृत भारतीय कंपनी होनी चाहिए।	1. अनुलग्नक I 2. अनुलग्नक-V 3. संस्था के अंतर्नियम और बाह्य नियम की प्रतिलिपि 4. निगमन प्रमाणपत्र 5. साझेदारी विलेख 6. कर पंजीकरण दस्तावेज जैसे पैन, टिन, जीएसटी, उद्यम पंजीकरण आदि/ अन्य प्रासंगिक दस्तावेज (यदि लागू हो)		
2	निविदाकर्ता के पास पूर्ण सेवा एवं मरम्मत केंद्र की स्थापना होनी चाहिए	सेवा सेटअप के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड किए जाने चाहिए।		
3	निविदाकर्ता के पास 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान इसी प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक करने का अनुभव होना चाहिए तथा बोलियां प्रस्तुत करने के समय उसे इस व्यवसाय में कार्यरत होना चाहिए।	क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य।		
4	निविदाकर्ता ने पिछले पांच (05) वर्षों में इसी प्रकार के कार्य सफलतापूर्वक पूरे किये हों - अ) कम से कम एक (01) समान कार्य जिसकी लागत 9 लाख या उससे अधिक हो **अथवा** ख) कम से कम दो (02) समान कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत 5.6 लाख या उससे अधिक हो **अथवा** ग) कम से कम तीन (03) समान कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत 4.5 लाख या उससे अधिक हो **नोट: उपरोक्त गणना के लिए प्रति वर्ष अनुमानित लागत 11.2 लाख रुपये मानी जाएगी।**	1. *अनुलग्नक III* 2. *अनुलग्नक III ए*		
5	निविदाकर्ता को पिछले तीन (03) लगातार वर्षों (अर्थात 2023-24, 2022-23 और 2021-22) में से प्रत्येक में शुद्ध	1. लेखापरीक्षित बैलेंस शीट 2. आईटी-रिटर्न की प्रतिलिपि और		

	लाभ होना चाहिए। वेंडर के पास पिछले तीन (03) वर्षों (यानी 2023-24, 2022-23 और 2021-22) में से प्रत्येक में न्यूनतम वार्षिक कारोबार ₹ 11.2 लाख होना चाहिए।	3. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लाभ और हानि विवरण		
6	निविदाकर्ता को आवेदक के बैंकर द्वारा जारी बैंकर प्रमाणपत्र (सॉल्वेंसी) प्रस्तुत करना होगा, जो विशेष रूप से इस कार्य के लिए अनुमानित लागत **(8.45 लाख रुपये) के बराबर न्यूनतम राशि के लिए जारी किया गया हो।** सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।	1. अनुलग्नक-V		
7	निविदाकर्ता के पास एचपी, डेल, लेनोवो, किसी अन्य प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड आदि जैसे ब्रांडों के लिए ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) प्रमाणीकरण या प्राधिकरण या सेवा प्रदाता प्रमाणपत्र होना चाहिए।	*दस्तावेजी प्रमाण अपलोड करना होगा।*		
8	निविदाकर्ता को आईएसओ 20000 प्रमाणित (आईटी सेवा प्रबंधन के लिए मान्यता) होना चाहिए।	*प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड की जानी है।*		
9	निविदाकर्ता को अपने किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी पूर्व संविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप संविदा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले संविदा रद्द/त्याग कर दी गयी हो। निविदाकर्ता को अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देना होगा और उनकी स्थिति प्रस्तुत करनी होगी, यदि ऐसा नहीं है तो उस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा। बैंक निविदाकर्ता द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी का मूल्यांकन करने और तदनुसार निविदा प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।	विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद लिखित घोषणा अपलोड की जानी है।		
10.	निविदाकर्ता को अधिमानतः खंड V उल्लिखित वस्तुओं के ओईएम के साथ उचित समर्थन संबंध (चैनल पार्टनर, सेवा भागीदार, आदि) रखना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्या समाधान के लिए निविदाकर्ता को ओईएम से प्राथमिकता स्तर का समर्थन उपलब्ध होगा।	ओईएम के साथ सहयोग की निरंतरता का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड किए जाने चाहिए।		
11.	निविदा शर्तों के अनुसार रेजिडेंट इंजीनियरों की तैनाती।	अनुलग्नक II		

12.	क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र	अनुलग्नक IV		
13.	आवेदन का प्रारूप	अनुलग्नक VI		
14.	नियम एवं शर्तों की सामान्य स्वीकृति	अनुलग्नक VII		
15.	निविदाकर्ता को किसी भी सरकार, विनियामक प्राधिकरण, वित्तीय संस्थान आदि द्वारा असूचीबद्ध/प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निविदाकर्ता के विरुद्ध कोई दिवालियापन मामला भी लंबित नहीं होना चाहिए।	अनुलग्नक VIII		
16.	भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र	अनुलग्नक IX		
17.	एनईएफटी के माध्यम से 16,900/- (सोलह हजार नौ सौ रूपये मात्र) की बयाना राशि जमा करने का प्रमाण।	बैंक खाता विवरण/चालान/लेनदेन का स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा।		
18.	निविदा फॉर्म	खंड III – हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतिलिपि अपलोड की जानी है।		
19.	नियम और शर्तें	खंड IV - हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतिलिपि अपलोड की जाएगी।		
20	बैंकर्स का विवरण	अनुलग्नक XI		

प्राधिकृत अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख: